15वीं वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012

15th ANNUAL REPORT

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन

NATIONAL HANDICAPPED FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(विकलांगता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

(Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India)

(आईएस/आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित)

(IS/ISO 9001:2008 Certified)

रैड कॉस भवन, सैक्टर -12, फरीदाबाद.121007 (हरियाणा)

दूरभाष : **0129 -2287513, 2226910, 2264841,** टेलीफैक्स : **2284371**

ई मेल : **nhfdc97@gmail.com**

वैबसाइट : **www.nhfdc.nic.in**

Red Cross Bhavan, Sector-12, Faridabad 121007 (Haryana)
Phone : 0129-2287513, 2226910, 2264841, Telefax : 2284371
E-mail : nhfdc97@gmail.com
Website : www.nhfdc.nic.in

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

(10 सितंबर, 2012 की स्थिति के अनुसार)
(As on 10th September, 2012)

1.	श्री हर्ष भाल Shri Harsh Bhal	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी Chairman -cum-Managing Director, NHFDC
2.	श्री अजय नारायण झा Shri Ajay Narayan Jha	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India
3.	श्री पंकज जोशी Shri Pankaj Joshi	संयुक्त सचिव (डीडी), विकलांगता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार Joint Secretary (DD), Department of Disability Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India
4.	श्री एम.पी. सिंह Shri M.P. Singh	अपर विकास आयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) Additional Development Commissioner, O/o Development Commissioner (MSME)
5.	श्री हरदीप सिंह किंगरा Shri Hardip Singh Kingra	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम Chairman & Managing Director, National Scheduled Castes Finance and Development Corporation
6.	श्री जी. नारायण राव Shri G. Narayan Rao	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम Chairman & Managing Director, Artificial Limbs Manufacturing Corporation
7.	श्री अरूण कुमार गोयल Shri Arun Kumar Goyal	महाप्रबंधक आईडीबीआई बैंक लि. General Manager, IDBI Bank Ltd.
8.	श्री उमेश चन्द्र गौड़ Shri Umesh Chandra Gaur	महाप्रबंधक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक General Manager Small Industries Development Bank of India

श्री रणजित कुमार मिश्र Shri Ranajit Kumar Mishra	कंपनी सचिव Company Secretary
आंतरिक लेखापरीक्षक	मैसर्स कुमार विजय गुप्ता एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स 304, एसएसआर कारपोरेट पार्क, 3/6, मथुरा रोड एन एच–2, फरीदाबाद हरियाणा–121003
Internal Auditors	M/s. Kumar Vijay Gupta & Co., Chartered Accountants 304, SSR Corporate Park, 3/6 Mathura Road, NH-2, Faridabad, Haryana-121003
सांविधिक लेखा परीक्षक	मैसर्स विरमानी, राय एण्ड कुट्टी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स 709–710, अंसल चैम्बर्स–4, 6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
Statutory Auditors	M/s. Virmani, Roy & Kutty, Chartered Accountants, 709-710, Ansal Chambers-II, 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066

सूची

INDEX

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	वार्षिक साधारण सभा की सूचना	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2–46
3.	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	47
4.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	48–50
5.	वार्षिक लेखाओं की विषय वस्तु	51
6.	तुलन पत्र	52
7.	आय–व्यय लेखा विवरण	53
8.	नकदी प्रवाह विवरण	54–55
9.	वित्तीय विवरण के अंग टिप्पण	56–83
10.	परोक्षी प्रपत्र	84

S.No.	Subject	Page No.
1.	Notice of Annual General Meeting	1
2.	Directors' Report	2-41
3.	Comments of Comptroller & Auditor General of India	42
4.	Report of Statutory Auditors	43-45
5.	Contents of Annual Accounts	46
6.	Balance Sheet	47
7.	Statement of Income & Expenditure Account	48
8.	Cash Flow statements	49-50
9.	Notes forming part of the financial statements	51-78
10.	Proxy Form	79

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, रैडक्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद - 121007 में दिनांक 28 सितम्बर 2012, शुक्रवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी :-

सामान्य कार्य:-

1. 31 मार्च 2012 तक निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और उक्त तिथि को समाप्त अवधि की आय तथा व्यय लेखा को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकृत करना।

2. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स का पारिश्रमिक निर्धारित करना, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और यदि, उचित लगे तो इसे बिना संशोधन के साथ या संशोधनों सहित पारित करना।

   ''संकल्प किया जाता है कि निगम एतद् द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224(8)(एए) और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई है) के अनुसरण में यह वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, मैसर्स विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स के लिए रुपये 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) तथा सेवा कर सहित राशि का लेखा परीक्षा शुल्क का अनुमोदन करती है।''

   "साथ यह भी संकल्प किया जाता है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के संबंध में की गई यात्रा और प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जारी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार निगम द्वारा की जायेगी।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते नेशनल हैन्डीकैप्ड, फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन

ह0
आर. के. मिश्र
कम्पनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक 25 सितम्बर, 2012

टिप्पणी:- बैठक में भाग लेने के हकदार सदस्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने परोक्षी प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति (चाहे सदस्य है अथवा नहीं) को नियुक्त कर सकता है। परोक्षी प्रतिनिधि की मान्यता के लिए उनका नाम बैठक आयोजित होने के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा होना चाहिए कोरा परोक्षी फार्म संलग्न है।

निगम के सदस्यों को निदेशकों की रिपोर्ट

श्री हर्ष भाल, सीएमडी, एनएचएफडीसी

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को आप के निगम के संकार्यों पर 15वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लेखा परीक्षित लेखा विवरण तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है।

1.1 समावेशन

इस निगम की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी तथा यह निगम कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 24 जनवरी, 1997 को कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

1.2 उद्देश्य

निगम के मुख्य उद्देश्यों का सार निम्नवत् है-

i) विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ आर्थिक विकास गतिविधियों तथा स्वरोजगार उद्यमों को बढ़ावा देना।

ii) विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उद्यमों के उचित एवं दक्ष प्रबंधन के लिए उनके उद्यम कौशल को उन्नत करने के लिए अनुदान देना।

iii) विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक पुनर्वास/स्वरोजगार के योग्य बनाने वाली व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण देना।

iv) स्वरोजगार में लगे विकलांग व्यक्तियों को उनके द्वारा तैयार माल के विक्रय के लिए सहायता प्रदान करना।

1.3 प्राधिकृत पूंजी

इस रिपोर्ट की तिथि को इस निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 400.00 करोड़ रूपये है। 31 मार्च 2012 को निगम की प्रदत्त शेयर पूंजी 191.80 करोड़ रुपये है जो 1000/- रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 19,18,010 की संख्या के सामान्य शेयरों में बंटी हुई है। समस्त साम्य पूंजी भारत सरकार के पास है।

1.4 निगम से सहायता पाने के लिए पात्रता मानदंड

निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड निम्नवत् हैं:

कोई भी विकलांग व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने का पात्र है।

क) कोई भी भारतीय नागरिक जो 40% या अधिक विकलांग हो।

ख) आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो।

ग) संबंधित शैक्षिक/तकनीकी /व्यावसायिक योग्यता और अनुभव।

एनएचएफडीसी द्वारा जम्मू–कश्मीर राज्य महिला विकास निगम के निःशक्तजन लाभार्थियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

1.5 निगम की योजनाएं

आपके निगम ने विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ अनेक ऋण आधारित व ऋण रहित योजनाएं बनाई हैं। ये योजनाएं मुख्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य मध्यस्थ संस्थाओं (एससीए) तथा गैर सरकारी संगठनों (सूक्ष्म वित्त योजना के तहत) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। निगम की योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1.5.1 ऋण आधारित योजनाएं

ऋण आधारित योजनाओं में पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले विकलांग व्यक्तियों को आय अर्जक क्रियाकलापों हेतु सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋणों के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।

क्रमांक	योजनाएं	अधिकतम ऋण (रुपये लाखों में)	लाभार्थी द्वारा (प्रतिवर्ष) देय ब्याज दर
1.	बिक्री/व्यापारिक गतिविधि	3.00	5-6 %
2.	सेवा क्षेत्र में लघु व्यवसाय	5.00	5-6 %
3.	वाणिज्यिक वाहनों की खरीद	10.00	5-8 %
4.	लघु औद्योगिक इकाई	25.00	5-8 %
5.	कृषि गतिविधियां	10.00	5-8 %
6.	मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी एवं ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु	10.00	5-8 %
7.	i) विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण ii) भारत में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण	15.00 7.50	3.5-4 % 3.5-4 %
8.	मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के अभिभावक संघ के लिए	5.00	5-6 %
9.	युवा स्वावलंबन योजना	25.00	5-8 %
10.	विकलांग व्यक्तियों के स्वरोजगार की नियोजन क्षमता/अवसर वृद्धि को बढ़ाने हेतु सहायक उपकरणों के लिए वित्त व्यवस्था की योजना	5.00	5-6 %
11.	सूक्ष्म ऋण योजना	रु. 0.25 लाख लाभार्थी	5 % तक

सभी योजनाओं में विकलांग महिलाओं को ब्याज दर में 1% की छूट की अनुमति है। लेकिन शिक्षा ऋण (क्रम सं. 7) के मामले में, छूट 0.5% होगी।

एनएचएफडीसी द्वारा रामटेक, नागपुर में आयोजित जनसूचना अभियान में भाग लिया गया। 2.7.2011

1.5.2 गैर ऋण आधारित योजनाएं

आपका निगम विकलांग व्यक्तियों के हितार्थ निम्नलिखित गैर-ऋण आधारित गतिविधियाँ संचालित करता है;

I) दक्षता एवं उद्यमिता विकास वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित/प्रायोजित करने हेतु अनुदान।

II) लाभार्थियों को विभिन्न प्रदर्शनियों एवं मेलों में अधिकतम दक्षता उन्नयन हेतु विक्रय सहायता के तौर पर प्रायोजित करना।

III) योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे अधिकारियों को अभिलक्षित वर्ग के प्रति संवेदनशील बनाना और कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों की मार्फत राज्य/जिला स्तरीय अधिकारियों में जागरूकता पैदा करना। निगम इस प्रकार की कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों के लिए स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों को धनराशि प्रदान करता है।

IV) विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ निगम की योजनाओं के विज्ञापन तथा प्रचार हेतु एससीए को निधि उपलब्ध कराना।

1.5.3 भुगतान अवधि

निगम की योजनाओं के तहत प्रदत्त ऋण की भुगतान अवधि अधिकतम दस वर्ष है। व्यावसायिक/शैक्षिक/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मामले में ऋण का भुगतान ऋण शुरू होने के सात वर्ष के भीतर किया जाएगा। सूक्ष्म ऋण योजना के मामले में भुगतान 3 वर्षों के भीतर किया जायेगा।

1.5.4 कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियाँ

निगम की निधियाँ संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित स्टेट चैनेलाइजिंग ऐजेन्सियों (एससीएज) के माध्यम से सरणीबद्ध की जाती है। इसके साथ-साथ ये एजेन्सियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्ष्य समूह के लाभार्थ निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहाँ स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियां अभी कार्यरत नहीं हैं वहाँ भी निगम प्रयासरत है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों की सूची परिशिष्ट-I पर हैं।

बैंक (सहयोगी करार के अंतर्गत पंजाब एण्ड सिंध बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) के माध्यम से ऋण सरणीबद्ध किये जा रहे हैं।

2. भारत सरकार से प्राप्त साम्य पूंजीगत सहायता

वित्तीय वर्ष 2011-12 में निगम ने भारत सरकार से साम्य पूंजीगत सहायता के तौर पर 250.00 करोड़ रुपये प्राप्त किए जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 50.00 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

एनएचएफडीसी द्वारा महिला विकास समबाया निगम, भुवनेश्वर के अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया। भुवनेश्वर/06.07.2011

3. निगम का कार्य निष्पादन

3.1 ऋणों का संवितरण

पिछले वित्तीय वर्ष 2010-11 की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में निगम ऋण का संवितरण बढ़ाने के साथ-साथ लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में सफल रहा है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में संवितरण का ब्यौरा निम्नवत है -

वित्तीय वर्ष ⟶	वित्तीय वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11
(राशि संवितरित करोड़ रुपये में)	31.84	31.84
सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (औसत ऋण के आधार पर अग्रिम निधि के मुकाबले लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सहित हुए।)	10625	6356

3.1.1 योजनावार कार्य निष्पादन

रिपोर्ट में वर्णित वित्तीय वर्ष के दौरान निगम का योजनावार ऋण संवितरण कार्य निष्पादन निम्नवत है:

क्रमांक	योजना/क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थी *
i)	व्यापार / बिक्री गतिविधि	20.55	4283
ii)	सेवा क्षेत्र गतिविधि	11.93	2239
iii)	कृषि (सम्बद्ध) गतिविधि	13.06	3534
iv)	कृषि गतिविधि	0.98	69
v)	लघु कारोबार गतिविधि (विनिर्माण/उत्पादन)	1.09	220
vi)	वाणिज्यिक किराए हेतु वाहन की खरीद	2.70	162
vii)	शिक्षा ऋण	0.55	18
viii)	सूक्ष्म ऋण योजनाएं	0	0
	कुल	50.86	10625

* प्रदान अग्रिम निधियों के मुकाबले लाभार्थियों की (औसत आधार पर) अनुमानित संख्या.

3.1.2 वर्ष के दौरान दिए गए ऋण का विकलांगतावार ब्यौरा

निगम का लक्ष्य विकलांगता से ग्रस्त सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना है तथा इसमें विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किसी विशेष श्रेणी को तरजीह नहीं दी जाती। हालांकि यह देखने में आया है कि ऋण का बड़ा हिस्सा लक्षित वर्ग में अस्थि विकलांग श्रेणी के लाभार्थ दिया गया। विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों में वर्ष के दौरान ऋण संवितरण का ब्यौरा निम्नवत है:

सीएमडी, एनएचएफडीसी पाँच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए। भुवनेश्वर / 06.07.2011

विकलांगता का प्रकार	राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थी
अस्थि विकलांग	42.68	8914
मानसिक मंदता	1.32	270
दृश्य विकलांग	3.14	591
श्रव्य विकलांग	3.72	850
कुल	50.86	10625

3.1.3 ऋण का पुरुष-महिलावार संवितरण:

2011-12 के दौरान निगम की योजनाओं के तहत पुरुष-महिलावार ऋण सहायता निम्नवत है:

लिंग	लाभार्थी		संवितरण ऋण	
	संख्या	प्रतिशत	राशि (रु. करोड़ में)	
महिला	3174	25.91	14.78	29.88
पुरूष	7415	74.01	36.08	70.12
कुल	10625	100.00	50.86	100.00

3.1.4 राज्यवार ऋण का संवितरण

निगम का कार्य निष्पादन मुख्यत: कार्यान्वयन एजेन्सियों के कार्य प्रदर्शन पर निर्भर है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में ऋणों का राज्यवार संवितरण पिछले वित्तीय वर्ष 2010-11 के तुलनात्मक ब्यौरे के साथ संलग्नक-II पर है।

3.1.5 2011-12 के दौरान ऋण संवितरण में शीर्ष तीन राज्य

निगम अपनी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से आग्रह करता रहा है कि वे निगम की योजनाओं के अंतर्गत अपने संबद्ध राज्यों में विद्यमान लक्षित समूहों को अधिक से अधिक लाएं। वर्ष 2010-11 के दौरान निगम से ऋण लेने वाले शीर्ष तीन राज्य निम्नवत हैं:

रैंक	राज्य का नाम	ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	हरियाणा	9.27
2.	तमिलनाडु	8.79
3.	उत्तराखंड	7.27

3.1.6 वर्ष 2011-12 के दौरान योजना के अंतर्गत लाए गए लाभार्थियों की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्य निगम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का मकसद रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निगम की योजनाओं के अंतर्गत लाये गये लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्य निम्नलिखित हैं:

सीएमडी, एनएचएफडीसी द्वारा उत्तरप्रदेश के निःशक्तजनो के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरप्रदेश के नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत समझौता किया गया। लखनऊ/12.09.2011

रैंक	राज्य का नाम	ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	तमिलनाडु	3624
2.	हरियाणा	1838
3.	उत्तराखंड	1444

4. प्रगामी उपलब्धियाँ

निगम ने गत वर्षों में कई क्षेत्रों में प्रगामी उपलब्धियां हासिल की हैं जो निम्नवत हैं:-

4.1 ऋणों का संवितरण

निगम ने गत वर्षों में ऋण संवितरण में लगातार सुधार किया है। विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ गत दस वर्षों में ऋणों का वार्षिक संवितरण निम्नानुसार हैं;

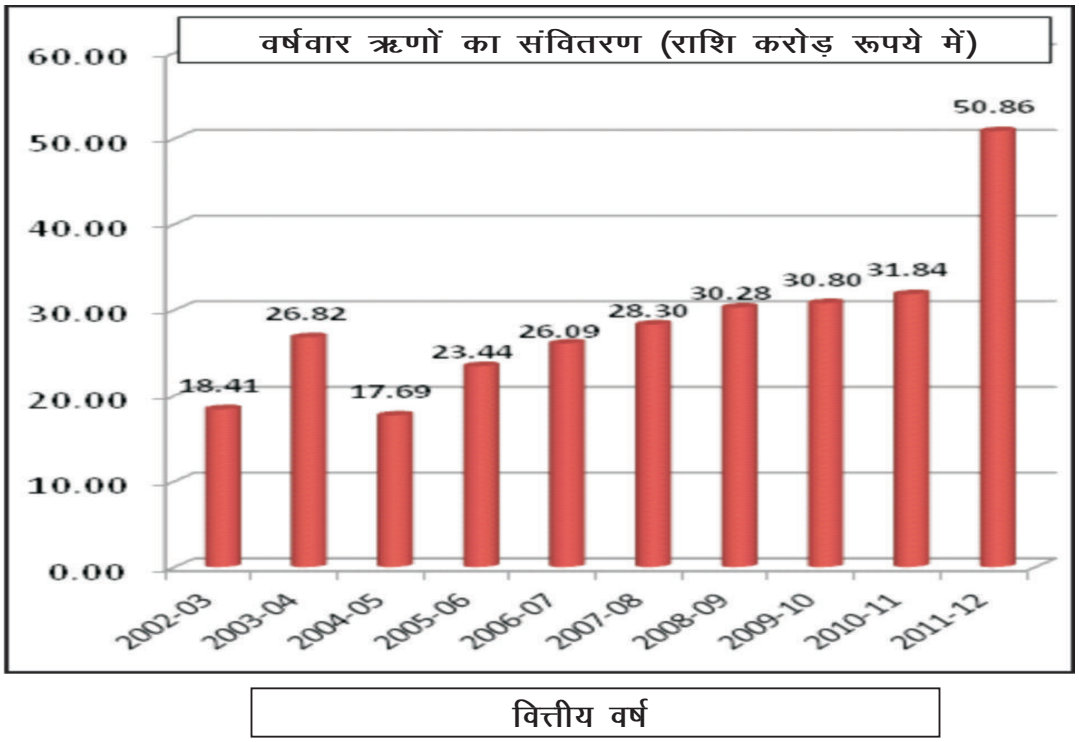

4.2 लाभार्थी समावेशन

विगत वर्षों में लाभार्थी समावेशन में प्रगति हुई है। पिछले दस वर्षों में निगम की योजनाओं के तहत वर्षवार लाभार्थी समावेशन निम्नानुसार है:

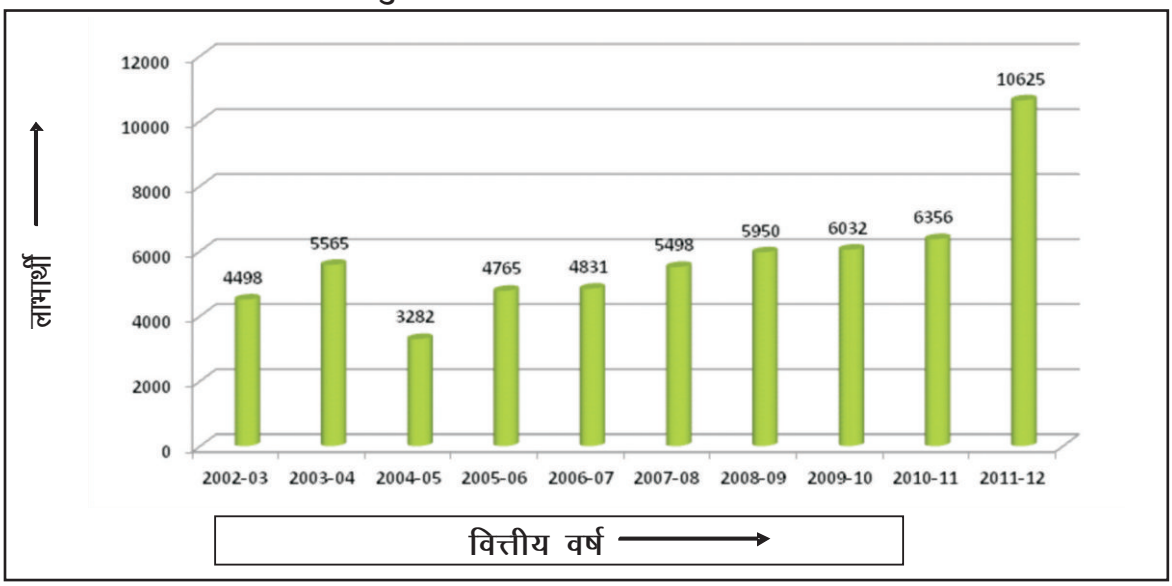

4.3 सहमति ज्ञापन 20010-11 के लक्ष्यों की तुलना में कार्य निष्पादन दर

निगम वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु सहमति ज्ञापन निष्पादित कर चुका था। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निगम की संपूर्ण उपलब्धियों को लोक उद्यम विभागों ने पाँच श्रेणियों यथा: अत्युत्तम, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषप्रद एवं खराब के पैमाने पर जाँचते हुए "अत्युत्तम" का दर्जा दिया।

4.4 सहमति ज्ञापन 2011-12 के लक्ष्यों की उपलब्धि

निगम ने सहमति ज्ञापन 2011-12 में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को हासिल किया है। आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार, सहमति ज्ञापन मापदंडों की दृष्टि से निगम की संपूर्ण उपलब्धि 'बहुत अच्छी है'। 2011-12 के सहमति ज्ञापन के लक्ष्य संलग्नक-III में दिए गए हैं।

5.1 बाजार हस्तक्षेप उपाय

निगम द्वारा मुख्यत: बाजार सहायता के तौर पर लाभार्थियों के स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इन मेलों में भाग लेने वाले लाभार्थियों को स्थान, यात्रा व रहने के व्यय की प्रतिपूर्ति, सामान लाने की आंशिक लागत तथा लाभार्थी एवं उसके अनुरक्षक को दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इन गतिविधियों में शामिल होने के अवसर मिलने से लाभार्थियों को बाजार का अनुभव मिलता है। ऐसी भागीदारी से लक्षित वर्ग की योग्यता उजागर होती है तथा आम जनता में उनके संबंध में जागरूकता आती है।

7

सीएमडी, एनएचएफडीसी हिन्दी पखवाड़े के दौरान हिन्दी में उल्लेखनीय योगदान के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए। फरीदाबाद/14.09.2011

5.1.1 राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2011-12 के दौरान निगम लाभार्थियों की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों यथा: आईआईटीएफ, नई दिल्ली एवं शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में भाग लेने में सहायक रहा। वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नवत है:

क्रमांक	प्रदर्शनी	लाभार्थियों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सं.	उपलब्ध कराए गए स्टालों की संख्या	एनएचएफडीसी लाभार्थियों द्वारा बिक्री की राशि
1.	आईआईटीएफ, नई दिल्ली	21	7	10	14.20 लाख रुपये
2.	शिल्पोत्सव, दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली	18	7	15	14.49 लाख रुपये
3.	मुंबई शिल्पोत्सव मुंबई	9	3	10	1.51 लाख रुपये
4.	सूरजकुंड शिल्प मेला	7	5	5	10.91 लाख रुपये
5.	कोलकत्ता शिल्पोत्सव कोलकत्ता	11	4	10	2.70 लाख रुपये
	कुल	66	26	50	43.81 लाख रुपये

माननीय मंत्री, श्री मुकुल वासनिक शिल्पोत्सव–2011, दिल्ली हाट, आईएनए के दौरे के दौरान एनएचएफडीसी के लाभार्थी द्वारा बनाये गये सामान को देखते हुए। दिल्ली/17.09.2011

5.1.2 राज्य/जिला स्तरीय प्रदर्शनियाँ

वर्ष 2011-12 के दौरान उपर्युक्त राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनियों के अलावा निगम अपने लाभार्थियों की विभिन्न राज्य/जिला स्तरीय प्रदर्शनियों की भागीदारी में सहायक रहा। इन प्रदर्शनियों का ब्यौरा निम्नवत है:

1. नागपुर में सहायता सामग्री और उपकरण वितरण
2. नई दिल्ली, पीतमपुरा, दिल्ली हाट में तीज उत्सव
3. केलाँग, हिमाचल प्रदेश में पीआईसी
4. हरियाणा, स्थित झज्जर में पीआईसी
5. हिमाचल प्रदेश स्थित नादौन में पीआईसी
6. उत्तराखंड स्थित उद्यम सिंह नगर में खटिमा में पीआईसी
7. उत्तरप्रदेश स्थित बहराइच में नानपरा स्थित पीआईसी
8. हरियाणा स्थित फरीदाबाद में तिगांव में पीआईसी
9. हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू में पीआईसी
10. नई दिल्ली रोहिणी स्थित टैकनिया इंस्टीट्यूट में दक्षता प्रदर्शनी
11. मध्यप्रदेश स्थित मंदसौर में पीआईसी

5.2 दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु सहायता

निगम समझता है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी बाजारीय परिस्थितियों में उचित/अपेक्षित दक्षता के अभाव में लक्ष्य समूह स्वरोजगार गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम नहीं है अत: लक्षित समूह मे दक्षता व कार्यकुशलता विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है।

अब तक निगम ने 22 राज्यों में 2433 विकलांग व्यक्तियों को /43 ईडीपी/दक्षता विकास प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2011-12 में 11 राज्यों में 709 विकलांग व्यक्तियों को 64 ईडीपी एवं दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया जिसका ब्यौरा संलग्नक-IV पर है।

9

एनएचएफडीसी द्वारा शिल्पोत्सव–2011 मे आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करती सुश्री पूनम नटराजन, चेयरपर्सन, राष्ट्रीय न्यास। नई दिल्ली / 29.09.2011

5.3 कार्यशालाएं /जागरूकता शिविर

निगम के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यावन्वयन विषयक सूचना के प्रसार एवं कार्य हेतु कार्यशालाएं आयोजित को रिपोर्टाधीन वर्ष में निगम ने निम्नलिखित जागरूकता / कार्यशाला शिविर लगाए।

10

सीएमडी, एनएचएफडीसी सर्तकता जागरूकता सप्ताह–2011 (31.10.2011–05.11.2011) के दौरान एनएचएफडीसी के अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए। फरीदाबाद/31.10.201

क) जागरूकता शिविर

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अधीन हिमाचल प्रदेश में लगाए गए जागरूकता शिविर

क्रम सं.	खंड का नाम	अभियान की तिथि	अभियान स्थल
1.	धरमपुर, सोलन, हि0 प्र0	5.5.2011	धरमपुर
2.	धरमपुर, सोलन, हि0 प्र0	5.5.2011	धरमपुर
3.	सोलन, हि0 प्र0	6.5.2011	कोली
4.	सोलन, हि0 प्र0	6.5.2011	शालोगरा
5.	कंडाघाट, सोलन, हि0 प्र0	7.5.2011	कंडाघाट
6.	राजगढ़, सिरमौर, हि0 प्र0	9.5.2011	राजगढ़
7.	राजगढ़, सिरमौर, हि0 प्र0	10.5.2011	दूल्थी
8.	पछाड़, सिरमौर, हि0 प्र0	11.5.2011	पछाड़
9.	नाहन, सिरमौर, हि0 प्र0	11.5.2011	अम्हबाला
10.	पोन्टा साहिब, सिरमौर, हि0 प्र0	12.5.2011	डोबरी
11.	सांगड़, सिरमौर, हि0 प्र0	13.5.2011	रजाना
12.	सांगड, सिरमौर, हि0 प्र0	13.5.2011	भवाई

ख) कार्यशाला

क्रम सं.	एनएचएफडीसी की एससीए का नाम	अभियान की तिथि	अभियान स्थल
1.	मेघालय स्टेट एपेक्स कोआपरेटिव बैंक	13.6.2011	नेस्ट गारो हिल्स जिला मेघालय
2.	जे. एण्ड के. स्टेट वूमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन	24.6.2011	पम्पोर श्रीनगर
3.	महिला विकास समबाया निगम (ओडिशा)	6.7.2011	भुवनेशवर
4.	गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम	6.7.2011	अहमदाबाद
5.	लक्षद्वीप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	27.10.2011	अन्डरोक द्वीप लक्षद्वीप
6.	पश्चिमी बंगाल महिला विकास उपक्रम	6.3.2012	कोलकात्ता

5.4 निगरानी और क्षेत्र निरीक्षण

संवितरण पश्चात् निगरानी उपाय के तौर पर, निगम कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों तथा निगम की योजनाओं में सहायता पाने वाले लाभार्थियों का क्षेत्र निरीक्षण करता है।

ये निरीक्षण निगम के अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं ताकि वे बुनियादी वास्तविकताओं को जान सकें तथा लक्षित समूह से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील बन सकें।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान एससीएज द्वारा हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ और गुजरात में लाभार्थियों के संबंध में निरीक्षण किया गया।

निगम के अधिकारियों ने 326 लाभार्थियों का क्षेत्र निरीक्षण किया।

एनएचएफडीसी द्वारा उत्तराखण्ड में आयोजित जनसूचना अभियान में भाग लिया गया। उधमसिंह नगर/15–17.11.2011

5.5 स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों (एससीएज) का कार्यकरण

निगम की योजनाओं के तहत लक्ष्य समूह को ऋण के संवितरण में एससीए का योगदान बड़े पैमाने पर अलग-अलग तरह का है। ऋणों का ग्रहण विभिन्न तत्त्वों जैसे बकाया देय राशियों का भुगतान ऋण का उपयोग सरकारी प्रतिभूति की उपलब्धता आदि पर निर्भर है।

निगम राज्य सरकार के प्राधिकारियों एवं स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से निरंतर संपर्क रखता है ताकि लक्ष्य समूह के लाभार्थ निधि प्रवाह बना रहे। निगम ने एससीएज को अनुमानत: निधियां आवंटित करते हुए एससीएज को अग्रिम वित्तपोषण के रुप में 50 प्रतिशत निधियां प्रदान की थी ताकि उधार की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। आलोच्य वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण संवितरण में एसीएज का कार्यनिष्पादन /योगदान एससीएज हेतु आनुमानिक आवंटन तथा कम ऋण ग्रहण के कारण संलग्नक-v पर दिए गए हैं।

5.6 निगम की सर्वोत्तम स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

लक्ष्य समूह के लाभार्थ बनी निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सर्वोत्तम प्रयास करने वाले एससीए को बढ़ावा देने हेतु निगम के अनुरोध पर सर्वोत्तम राज्य मध्यस्थ एजेन्सी राष्ट्रीय पुरस्कार की संस्थापना की गई है, इससे एससीए को पहचान मिलती है।

वर्ष 2010-11 में निगम के सर्वोत्तम एससीए का राष्ट्रीय जम्मू और कश्मीर में इस निगम की एससीए जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम को दिया गया। निदेशक मंडल ने

हरियाणा राज्य के निःशक्तजनो को क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंर्तगत स्वरोजगार के लिये रियायती करों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये सीएमडी, एनएचएफडीसी व हरियाणा ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष एमओयू दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते हुए। रोहतक/07.12.2011

विवरण	2011-12 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु (रु. लाखों में)	2010-11 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु (रु. लाखों में)
कुल आय	832.74	443.44
प्रचालन एवं सामान्य व्यय	367.74	458.92
अधिशेष (मूल्यह्रास से पूर्व, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान का पूर्वावधि समायोजन, अधिक प्रावधान का पुनरांकन)	464.97	184.52
पूर्ववर्ती वर्ष के पुनरांकन हेतु अत्यधिक प्रावधान।	6.80	1.81
संदिग्ध ऋण प्रदान करने से पूर्व अधिशेष एवं मूल्यह्रास	471.77	786.36
संदिग्ध व अशोध्य ऋणों हेतु प्रावधान	37.52	9.79
मूल्यह्रास	7.48	9.79
पूर्वावधि समायोजन से पूर्व अधिशेष	426.76	166.77
पूर्वावधि व्यय (-)	54.94	11.48
वर्ष हेतु अधिशेष (घाटा)	371.82	155.29

6.1 अधिशेष का विनियोजन

चूंकि निगम धारा 25 के तहत एक कंपनी है इसलिए लाभांश घोषित करना आवश्यक नहीं। अतएव 371,82,096/- रुपये की संपूर्ण अधिशेष राशि निगम के सामान्य आरक्षित लेखा को हस्तांतरित हो चुकी है। 31.2.2012 को सामान्य आरक्षित लेखा में 31,30,08,635/- रुपये थे।

7. विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (प्रशासनिक मंत्रालय) ने निगम को शैक्षिक वर्ष 2009-10 से विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय कोष) का प्रशासन सौंपा है। साथ ही शैक्षिक वर्ष 2011-12 से निगम को भिन्न तरीके से सक्षम विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) संबंधित कार्य सौंपा गया है। आपके निगम ने इन योजनाओं के व्यापक प्रचार के वास्ते इलेक्ट्रानिक तथा समाचार पत्र माध्यम का इस्तेमाल किया। इसके नतीजतन, छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि) और न्यास निधि के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

पिछले दो वर्षों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निधि से छात्रवृत्ति योजना (नेशनल फंड) के तहत प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नवत है।

वर्ष	प्राप्त आवेदन	प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्तियों की राशि
2009–10	3305	417	रू0 52,81,975
2010–11	3640	470	रू0 60,15,775
2011–12	2646	492 तथा 12 नवीकरण मामले	रू0 64,92,526 नए विद्यार्थी (नवीकरण)

2011–12 में छात्रवृत्ति योजना (ट्रस्ट फंड) के तहत प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष 2011-12	प्राप्त आवेदनों की संख्या	दी गई छात्रवृत्तियों की संख्या	छात्रवृत्ति की राशि
1-7-2011 30-9-2011	3175	491	रु. 3,04,97,763/-
1-10-2011 31-12-2011	661	379	रु. 2,02,27,379/- 1,99,10,200 छात्रवृत्ति राशि + 3,17,199 (सहायक उपकरण की लागत)
1-1-2012 1-3-2012	978		
1-4-2012 30-6-2012	878		
2011-12	2646	492 और नवीकरण मामले	रु. 64,92,526 रु. 1,71,998

8.1 मानव संसाधन

निगम अपनी गतिविधियाँ 30 कार्मिकों की कार्य शक्ति से चलाने में सक्षम है जो कि स्वीकृत संख्या से कम है।

निगम में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है–

(31.3.2011 की स्थिति के अनुसार)

कार्मिक वर्ग	स्वीकृत पद	भरे हुए	रिक्त
क	14	12	02
ख	02	01	01
ग	18	12	06
घ	05	05	शून्य
कुल	39	30	09

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, निगम में एक कर्मचारी की नियुक्ति सहायक प्रबंधक (वित्त) के पद पर हुई है। जबकि एक कर्मचारी की सेवाएं जो कनिष्ठ सहायक (लेखा) के तौर पर काम कर रहा था, समाप्त कर दी गई। इसी वर्ष के दौरान वरिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत दो कर्मचारी निगम को छोड़कर अन्य संगठन में उच्च पद पर कार्य करने के वास्ते चले गये।

8.2 विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति

निगम में 31.3.2012 को विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व विषयक सूचनाएं इस रिपोर्ट के संलग्नक VI पर हैं।

निगम में 31.3.2012 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व विषयक सूचनाएं इस रिपोर्ट के संलग्नक -VII पर हैं।

8.3 कर्मचारियों का ब्यौरा

निगम का कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारी ब्यौरा) नियम, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

9.1 आईएस/आईएसओ 9001: 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन

निगम ने 4 नवम्बर, 2010 से भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस नं. एनआरओ/क्यूएससी पहले गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएस/आईएसओ 9001:2000 स्थापित की थी। उपरोक्त लाइसेंस केवल 5 मार्च 2012 तक वैध था, तत्पश्चात, निगम ने गुणवता प्रबंध प्रणाली लाइसेंस के नवीकरण के वारंट यह मामला भारतीय मानक ब्यूरो के साथ उठाया।

सीएमडी, एनएचएफडीसी हरियाणा राज्य के निःशक्तजनों को निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अध्यक्ष गुडगांव ग्रामीण बैंक के साथ दस्तावेज (एमओयू) का आदान–प्रदान करते हुए। फरीदाबाद/08.12.2011

निगम की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की जांच भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा की गई और आईएस/आईएसओ 9001:2008 के तहत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में निगम को संशोधित लाइसेंस सं. एनआरओ/ क्यूएससी/ एल-9002437 जारी किया गया। उपरोक्त लाइसेंस 6 मार्च 2012 से 5 मार्च 2012 तक वैध रहेगा और इसे विहित विनियमों के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा।

9.2 राजभाषा कार्यान्वयन

निगम कार्यालयी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु बढ़ावा देता है। सितम्बर 2011 में निगम में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान कई प्रतियोगिताएं कराई गई।

वर्ष के दौरान बहुत से पत्र/दस्तावेज हिंदी में अनूदित कराए गए निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठके नियमित रूप से आयोजित हुई जिसमें राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई।

निगम की विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ बनी योजनाओं विषयक मुद्रित सामग्री हिंदी में प्रकाशित है। निगम की वैबसाइट (www.nhfdc.nic.in) हिन्दी और अंग्रेजी में अनुरक्षित है।

एनएचएफडीसी द्वारा टेक्निया इंस्टिट्यूट, रोहिणी, नई दिल्ली में दिनाँक (21.01.2012–22.01.2012) को आयोजित एबिलिटि एक्सपो में भाग लिया गया।

9.3 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विदेशी मुद्रा का कोई आय-व्यय नहीं हुआ।

9.4 जमा की प्राप्ति

संदर्भाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

सीएमडी, एनएचएफडीसी, सूरजकुंड क्राफ्ट मेले के दौरे के दौरान एनएचएफडीसी लाभार्थी द्वारा लगाये गये स्टालों को देखते हुये। फरीदाबाद/05.02.2011

9.5 निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

निदेशक मंडल ने बताया है कि :-

- वार्षिक लेखा तैयार करते समय लागू लेखाकरण मानकों के पालन के साथ-साथ सात्विक विचलन के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इंगित बिन्दुओं को छोड़कर उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

- निदेशकों ने लगातार लेखाकरण नीतियों का चयन अपनाया है और ऐसे निर्णय व आकलन किये हैं जो युक्तिसंगत, विवेकपूर्ण हों, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निगम की स्थिति तथा उक्त अवधि के आय एवं व्यय का सही तथा स्पष्ट दृष्टिकोण उभरकर आ सके।

- निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

- निदेशकों ने वार्षिक लेखा प्रचलित तरीके के आधार पर तैयार किया है।

9.6 वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए मैसर्स विरमानी रॉय एण्ड कुट्टी, चाटर्ड अकाउन्टेन्ट नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के पत्र सं. सीए V/ सीओवाई/सेन्ट्रल गवर्मेन्ट, हैंडिफ (1)/429 दिनांक 26.8.2011 के लिए कम्पनी के विधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किए गए थे।

सांविधिक लेखाकारों ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए कम्पनी के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा की है। लेखाकारों के प्रतिवेदन में टिप्पणियों/अर्हता के संबंध में प्रबंधन के उत्तर इस प्रतिवेदन में अनुलग्नक-VIII के रूप में लगे हैं।

9.7 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण दिवस/कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान निगम ने विभिन्न महत्वपूर्ण दिवस/कार्यक्रम मनाए। इनमें से कुछ कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

क) सांप्रदायिक सौहार्द अभियान सप्ताह

निगम ने 19 नवंबर, 2011 से आरंभ हुए तथा 25 नवंबर, 2011 को समाप्त हुए सप्ताह को सांप्रदायिक सौहार्द अभियान सप्ताह के रूप में मनाया। सभी कर्मचारियों ने 19-11-2011 को राष्ट्रीय एकता शपथ ली।

इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी कर्मचारियों ने सांप्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता और इसे बढ़ावा देने के तरीकों संबंधी चर्चा में भाग लिया।

यह कार्यक्रम 25.11.2011 को झंडा दिवस के रूप में मानते हुए समाप्त हुआ। सभी कर्मचारियों ने नेशनल फाउन्डेशन ऑफ कम्यूनल हारमोनी (एनएफसीएच) के लिए स्वेच्छा से अंशदान दिया। 1382/-रुपये की राशि निगम के कर्मचारियों से एकत्रित हुई और उसे एनएफसीएच के खाते में डाल दिया गया।

ख) सद्भावना दिवस

निगम ने भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती 19 अगस्त, 2011 को सद्भावना दिवस के रूप में मनायी। कर्मचारियों ने इस मौके पर सद्भावना दिवस शपथ लेने के साथ-साथ यह शपथ भी ली कि वे यथा संभव रूप में राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देंगे।

10. निगम प्रशासन

आपके निगम के निदेशकों का निगम के मामलों के बारे में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा में विश्वास है। लोक उद्यम विभाग निगम प्रशासन पर दिनांक 14 मई 2010 को का. ज्ञापन 18 (8)/2005 जीएम द्वारा संशोधित दिशा निर्देश जारी कर चुका है।

11 फरवरी, 2011 को हुई निगम के निदेशक मंडल की 64वीं बैठक में इस आशय का संकल्प पारित किया गया है जिसमें निगम में कार्यान्वयन हेतु डीपीई ओ.एम.न. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी निगम प्रशासन के दिशानिर्देश स्वीकृत किए गए हैं। आपका निगम उक्त दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं को लागू कर रहा है।

16

एनएचएफडीसी द्वारा पश्चिम बंगाल महिला विकास संस्थान के अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोलकात्ता/06.03.2012

केन्द्रीय सरकार के लोक उद्यमों हेतु निगम प्रशासन के मामले में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा निर्देश की दृष्टि से, निगम प्रशासन के दिशा निर्देश की शर्तो के पालन के संबंध में निगम के सार्वजिनक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इस रिपोर्ट में संलग्नक **IX** पर है।

10.1 वित्तीय विशेषताएं

निगम पिछले वित्तीय वर्ष 2010-11 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न वित्तीय मापदंडों के मामले में अच्छी प्रगति कर पाया है।

इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय मापदंड और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	ब्यौरा	राशि (करोड़ रूपये में)		परिवर्तन
		2011-12	2010-11	
i)	कुल आय	8.33	4.43	88.04%
ii)	ऋणों से आय	3.44	3.16	8.86%
iii)	अन्य आय	4.89	1.27	285.03%

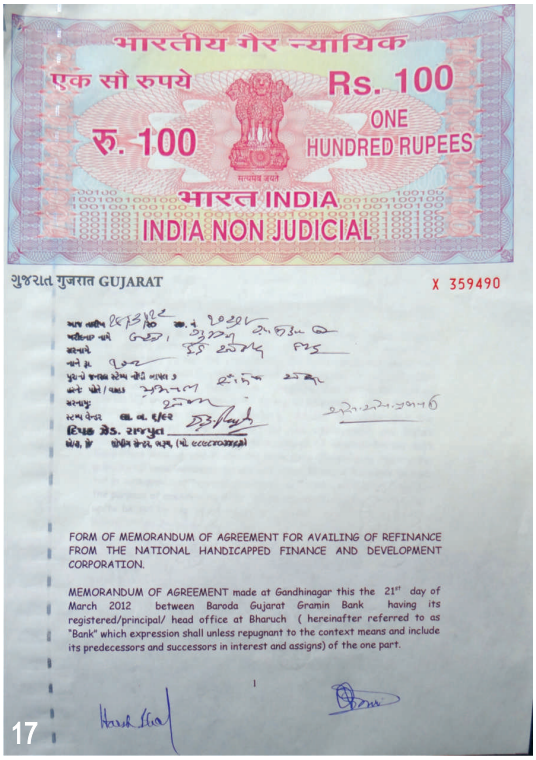

एनएचएफडीसी द्वारा गुजरात निःशक्त जन के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु गुजरात के तीन क्षेत्रीय –ग्रामीण बैंको से क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। गांधीनगर / 21.03.2012)

10.2 निगम के प्रकार्य

i) वर्ष के दौरान निगम के प्रकार्यों का परिणाम निम्नलिखित अनुपातों में दर्शाया गया है:

क्रमांक	ब्यौरा	राशि
i)	प्रति कर्मचारी संवितरण	169.53 लाख रुपये
ii)	प्रति कर्मचारी अधिशेष	13.39 लाख रुपये
iii)	ऋण लागत (डी/डी हेतु प्रावधान सहित)	9,061.90 लाख रुपये

ii) वर्षों से निगम के संपूर्ण प्रकार्य निम्नलिखित संकेतकों द्वारा वर्णित हैं;

क्रमांक	ब्यौरा	राशि
i)	31.3.2011 तक ऋणों का संवितरण	316.12 करोड़ रुपये
ii)	31.3.2011 तक ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	64,385

iii) प्रति लाभार्थी औसत संतिरण (लाख रूपये में) 0.49

iv) ऋण का व्यापारवार वर्गीकरण

निगम विभिन्न आय अर्जक गतिविधियों के लिए विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ ऋण देता रहा है। नीति के तौर पर, लाभार्थी अपनी इच्छानुसार कोई भी परियोजना/उद्यम स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। निगम लाभार्थी के निर्णय को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए लाभार्थियों के मामले में निम्नलिखित आंकड़े लक्षित समूह के पसंदीदा क्षेत्रों/गतिविधियों को दर्शाते हैं;

क्रमांक	योजना/क्षेत्र	लाभार्थी		संवितरण	
		चरम संख्या	प्रतिशत	राशि (करोड़ रु.में)	प्रतिशत
i)	व्यापार/बिक्री गतिविधि	35,866	55.71	167.74	23.06
ii)	सेवा क्षेत्र गतिविधि	11,620	18.15	64.68	20.46
Iii)	कृषि (सहायक) गतिविधि	8,889	13.81	38.64	12.22
iv)	कृषि गतिविधि	798	1.26	9.65	3.05
v)	लघु कारोबार गतिविधि (विनिर्माण/ उत्पादन)	1119	1.73	7.37	2.33
vi)	वाणिज्यिक किराए के लिए वाहन खरीद	890	1.38	19.62	6.21
vii)	शिक्षा ऋण	38	0.09	1.36	0.43
viii)	सूक्ष्म ऋण योजना	5,148	8.00	7.06	2.23
	कुल	64,385	100.00	316.12	100.00

v) पुरुष -महिलावार ऋण वितरण

निगम विकलांग महिलाओं को अपनी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता द्वारा उन्हें शक्ति संपन्न करने के लिए बढ़ावा देता है। इस उद्देश्य से, निगम ब्याज दर में छूट की अनुमति देता है। (1 प्रतिशत सभी योजनाओं के तहत सिवाय शिक्षा ऋण जिसमें छूट 0.5 प्रतिशत है)

31.3.2012 तक निगम की योजनाओं के अंतर्गत पुरुष महिलावार ऋण वितरण निम्नानुसार है:

पुरुष-महिला	लाभार्थी		संवितरित राशि	
	चरम संख्या	प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपये में)	प्रतिशत
पुरुष	51362	79.77	257.63	81.50
महिला	13023	20.23	58.49	18.50
कुल	64385*	100.00	316.12	100.00

(*) एससीएज को प्रदान अग्रिम निधियों के मुकाबले औसत ऋण के आधार पर लाभार्थियों की अनुमानित संख्या शामिल है।

vi) विकलांगत श्रेणीवार ब्यौरा (संचित)

निगम का सभी श्रेणियों के विकलांगों के प्रति दायित्व है। तथापि, यह पाया गया है कि अस्थि विकलांग व्यक्तियों की संख्या निगम से सहायता प्राप्त लाभार्थियों में सबसे अधिक है।

31.3.2012 तक निगम से सहायता प्राप्त विभिन्न श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

क्रमांक	विकलांगता श्रेणी	लाभार्थी		संवितरण	
		चरम संख्या	प्रतिशत	राशि (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
1.	अस्थि विकलांग	57,369	89.10	280.90	88.86
2.	मानसिक रूप से मंदव्यक्ति	1,074	1.67	6.08	1.92
3.	दृष्टि विकलांग	3,522	5.47	17.10	5.41
4.	श्रव्य विकलांग	2,420	3.76	12.04	3.81
	कुल	64,385	100.00	316012	100.00

vii) राशिवार ऋण वितरण

निगम की योजनाओं के अनुसार, आय अर्जक गतिविधि/उद्यम और ऐसे उद्यम में निवेश केवल लाभार्थी की इच्छा पर निर्भर करता है। फिर भी, यह देखा गया है कि अधिकांश ऋण कम लागत वाली परियोजनाओं हेतु प्रदान किया गया है।

ऋण राशि के आधार पर 31.3.2012 तक लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	ऋण सीमा	लाभार्थी		संवितरण	
		चरम संख्या	प्रतिशत	राशि (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
1.	50,000 रुपये तक	52.429	81.43	163.31	51.66
2.	50,000 रुपये से ऊपर और 1 लाख रुपये तक	9,506	14.76	100.83	31.90
3.	1 लाख रुपये ऊपर और 5 लाख रुपये तक	2,427	3.77	50.47	15.96
4.	5 लाख रुपये से ऊपर	23	0.04	1.59	0.48
	कुल	64,385	100.00	316.12	100.00

10.3 बोर्ड का गठन और निदेशक गण

निगम के कार्यों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें बोर्ड का गठन निम्नानुसार है:

क्रमांक	ब्यौरा	संख्या	वर्तमान प्रस्थिति
1.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	1	श्री हर्ष भाल, आईआईएस
2.	विकलांग व्यक्तियों के लिए/ प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी सदस्य (प्रत्येक विकलांगता श्रेणी से एक व्यक्ति)	3	रिक्त
3.	जैव चिकित्सीय इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/ अनुसंधान संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति	1	रिक्त
4.	आईडीबीआई का प्रतिनिधि	1	**श्री अरूण कुमार गोयल, महाप्रबंधक, आईडीबीआई**
5.	**सिडबी का प्रतिनिधि**	1	श्री उमेश चन्द्र गौड महाप्रबंधक, सिडबी
6.	विकास आयुक्त, लघु उद्योग/विकास आयुक्त, हस्तशिल्प/ विकास आयुक्त, लघु उद्योग/ विकास आयुक्त, हस्तशिल्प का प्रतिनिधि	1	श्री एम. पी. सिंह, अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय **(एमएसएमई) भारत सरकार**
7.	भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव	1	श्री अजय नारायण झा
8.	सीएमडी, एनएससीएफडीसी	1	श्री हरदीप सिंह किंगरा
9.	संयुक्त सचिव, (डीडी) विकलांगता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार	1	श्री पंकज जोशी
10.	एमडी/सीएमडी , एएलआईएमसीओ	1	श्री जी. नारायण राव

सेवानिवृत्त, बर्खास्तगी, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा कारण से निदेशक पद में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेश (क्रमांक-1 ऊपर) निगम का कार्यपालक निदेशक है। ऊपर क्रमांक 2 में वर्णित निदेशक गैर-सरकारी निदेशक हैं। क्रमांक 3 से 10 पर उल्लिखित निदेशक पद समग्र रूप से पदेन है।

निगम प्रशासन पद डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के खंड 3.1.4 में दी गई स्वतंत्र निदेशक की परिभाषा के अनुसार निगम के सभी निदेशक स्वतंत्र निदेशक हैं। (सीएमडी को छोड़कर क्योंकि वह अंशकालिक निदेशक नहीं है)

10.4 बोर्ड समिति

1) लेखा परीक्षा समिति

निगम ने 19 मार्च, 2012 को हुई बोर्ड की 68 वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित निदेशक हैं:

क) श्री अरूण कुमार गोयल, महाप्रबंधक आईडीबीआई बैंक लि.

ख) श्री उमेश चन्द गौड, महाप्रबंधक सिडबी

ग) श्री जी. नारायण राव, सीएमडी, आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन

2) पारिश्रमिक समिति

निगम ने 25 जून, 2012 को हुई बोर्ड की 69 वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का पुनः गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित निदेशक है:

क) बोर्ड में आईडीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाला निदेशक

ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के आंतरिक वित्त विभाग का निदेशक।

ग) बोर्ड में सिडबी का प्रतिनिधित्व करनेवाला निदेशक

10.5 निगम की वार्षिक साधारण बैठकें

निगम की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण निम्नानुसार है;

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	या बैठक में कोई विशेष संकल्प पारित हुआ
2011	23.9.2011	मध्याह्न 12.00 बजे	निगम का पंजीकृत कार्यालय रेड क्रास भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007 (हरियाणा)	नहीं
2010	29.9.2010	पूर्वाह्न 11.00बजे	तदैव	नहीं
2009	23.9.2009	अपराह्न 4.30 बजे	तदैव	नहीं

10.6 संचार साधन

निगम प्रभावी संचार हेतु समाचार पत्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों का प्रयोग करता है। निगम की वेबसाइट www/nhfdc.nic.in की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी/विषयवस्तु निम्नानुसार है;

i) निगम की मुख्य गतिविधियों/निर्णयों से संबंधित सूचना यह सूचना मासिक आधार पर दी जाती है। साथ ही उक्त सूचना प्रशासनिक मंत्रालय का मासिक आधार पर भेजी जाती है।

ii) प्राप्त हुए सूचना का अधिकारी संबंधी आवेदनों, प्रत्युत्तर आदि के संबंध में सूचना

iii) निगम के निदेशकों और अधिकारियों संबंधी सूचना

iv) सूचना का अधिकार संबंधी नियमावली

v) निगम की विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ योजनाएं

vi) आवेदकों (विकलांग विद्यार्थियों) का विवरण जिन्हें छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

vii) विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ निगम से ऋण लेने वाले गैर सरकारी संगठनों का नाम व पता

viii) निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियों के नाम पता तथा टेलीफोन नम्बर

ix) विकलांग व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों हेतु आरक्षण से संबद्ध मामलों के लिए निर्दिष्ट संपर्क अधिकारी।

निगम विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ अपनी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के वास्ते जन सूचना कार्यालय, प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोति विभिन्न शिविरों में भाग लेता है।

10.7 निदेशकगण - वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निगम के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	कार्यावधि	
		से	तक
1.	श्री दीपक गुप्ता, महाप्रबंधक, आईडीबीआई बैंक लि.	01.04.2005	10.11.2012
2.	श्री राम निवास यादव, महाप्रबंधक, सिडबी	26.02.2009	10.11.2011
3.	डॉ. (श्रीमती) विनिता शर्मा, विज्ञान व प्रोद्यौगिकी विभाग, भारत सरकार	21.05.2029	विद्यमान
4.	श्री ए.एन.झा, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार	10.11.2011	विद्यमान
5.	श्री पंकज जोशी, संयुक्त सचिव (डीडी) विकलांगता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार	10.11.2011	विद्यमान
6.	श्री एम.पी.सिंह, अपर विकास आयुक्त, एमएसएमई	10.11.2011	विद्यमान
7.	श्री हरदीप सिंह किंगरा, सीएमडी, एनएससीएफडीसी	10.11.2011	विद्यमान
8.	श्री जी. नारायण राव, सीएमडी, एएलएमसी	10.11.2011	विद्यमान
9.	श्री उमेश चन्द्र गौड़, महाप्रबंधक, सिडबी	10.11.2011	विद्यमान
10.	श्री अरूण कुमार गोयल, महाप्रबंधक, आईडीबीआई		

10.8 निदेशकों की बोर्ड की बैठक में उपस्थिति

द्वितीय वर्ष 2011–12 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्योरा निम्नवत् है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	(2011–12 में) कार्याविधि के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की कितनी बैठकों में उपस्थित के
1.	श्री हर्ष भाल	4	4
2.	श्री दीपक गुप्ता	2	2
3.	श्री राम निवास यादव	2	.....
4.	डॉ. (श्रीमती) विनिता शर्मा	4	4
5.	श्री ए. एन. झा	1	....
6.	श्री पंकज जोशी	1	....
7.	श्री एम. पी. सिंह	1	....
8.	श्री हरदीप सिंह किंगरा	1	....
9.	श्री जी. नारायण राव	1	1
10.	श्री उमेश चंद्र गौड़	1	1
11.	श्री अरूण कुमार गोयल	1	1

नोटः क्रमांक 5 से 11 तक निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित एमएसजेई अधिसूचना 9.12.2011 को जारी हुई थी तथा एनएचएफडीसी को 22.12.2011 को प्राप्त हुई थी। अतः 9.12.2011 को हुई निगम के निदेशक मंडल की 67 वीं बैठक की सूचना उक्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त संबद्ध निदेशकों की सूची जारी नहीं की जा सकी।

श्री पंकज जोशी, जेएस (डीडी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि निगम की एक बैठक में उपस्थित था।

10.9 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान निगम ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे जिनका सार निम्नवत् है:

क) <u>उच्च कारोबार के लिए प्रोत्साहन योजना</u>

निगम ने उच्च कारोबार के लिए एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की है जिससे कि निगम से अधिक ऋण आहरण की उपलब्धि पर आधारित प्रोत्साहनों व योजना की अन्य शर्तें को पूरा करने के लिए एसीएस को पुरस्कृत किया जा सकें, इस नीति से लक्षित समूह को फायदा मिलेगा और निगम की योजनाओं के तहत अधिकाधिक विकलांगों को लाया जा सकेगा।

ख) कार्यकौशल और उद्यमिता विकास योजना – संशोधित पात्रता मानदंड का निगम ने कार्यकौशल और उद्यमिता विकास योजना मे संशोधन किए है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके तथा लक्षित समूह की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। योजना में निम्ननलिखित मुख्य परिवर्तन किए गए हैं:

- निगम द्वारा प्रदत्त अनुदान सहायता के तहत प्रशिक्षण लेने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 15 वर्ष कर दी गई है।
- प्रशिक्षण अवधि छह माह से बढ़ाकर बारह माह की गई है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य की अनुदान राशि की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया गया है।

ग) <u>लाभार्थी की मृत्यु के मामले में ऋण माफी</u>

निगम ने 9 दिसंबर 2011 से लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में ऋण माफी की अनुमति दी है। यह अनुमति उन्हीं शर्तों/विधि/दिशा निर्देशों के अनुसार दी गई है जिसकी अनुमति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के लाभार्थियों को उनकी मृत्यु की स्थिति में ऋण माफी योजना के तहत दी जाती है।

ग) <u>विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र के साथ सहयोगी करार</u> :–

कार्यकौशल किसी व्यापारिक इकाई के अस्तित्व विकास में एक आवश्यक तत्व होता है। निगम चाहता है कि विकलांगों को अत्यावश्यक प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया की जा सकें जिससे वे आय अर्जक क्रियाकलापों को सफलतापूर्वक करने के लिये अपेक्षित कार्यदक्षता अर्जित कर सके।

लक्षित समूह को प्रशिक्षण देने की चुनौती को पूरा करने के वास्ते, निगम ने विकलांगों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (वीआरसी), रोजगार और प्रशिक्षण निदशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय से करार किया है।

घ) <u>सूक्ष्म और लघु उद्यमो संबंधी ऋण प्रतिपूर्ति निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) के सूक्ष्म और छोटे उद्यमों हेतु बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन</u>

निगम ने विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वैकल्पिक माध्यम शुरू किया है। निगम ने ऐसा सीजीटीएमएसई के सूक्ष्म और छोटे उद्यमों हेतु (सीजीएस) ऋण प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या अन्य पात्र संस्थाओं के साथ सहयोगी करार करके किया है।

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार, सीजीटीएमएसई के अधीन पात्र परियोजनाओं के वास्ते विकलांगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है और कर्ज लेने वाले को वित्तीय सहायता लेने के लिए कोई आनुषंगिक सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है।

आज की तारीख में, निगम ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको (आरआरबीस) के साथ सहयोगी करार किया है।

(च) <u>एससीए को प्राधिकार के प्रत्यायोजन में इजाफा</u>

स्टेट चैनेलाइज़िंग एजेन्सियों की ऋण स्वीकृत की प्रत्यायोजित शक्ति को 23 अगस्त, 2011 से 3 लाख रूपये से बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया गया है। अर्थात ये एजेन्सियां 5 लाख रूपये तक की लागत परिव्यय वाली अपनी परियोजनाओं को स्वीकृति दे सकती है। इससे ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया तेज और सुचारू होगी।

छ) <u>युवा स्वावलंबन योजना</u>

युवा विकलांग व्यवसायियों को वित्तीय मदद देने के लिए निगम ने ऐसी नीति तैयार की है जिसके अंतर्गत रियायती ब्याज दर पर अधिकतम 5 लाख रूपये का ऋण दिया जा सकता है।

ज) <u>आय मानदंड समाप्त करना</u>

निगम ने अपनी योजना के अंतर्गत सहायता पाने की पात्रता पूर्वशर्तो से आय मानदंड को समाप्त कर दिया है। इससे न केवल आय प्रमाणपत्र की आवश्यकता खत्म होगी बल्कि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया भी सरल बनेगी।

झ) चूकग्रस्त भुगतानों पर निर्णीत हर्जाने तथा दांडिक ब्याज के मामले में अच्छा कार्यनिष्पादन करने वाली एस सी एज को निगम ने ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है तथा चूकग्रस्त भुगतानों पर उच्च ब्याजदर की और विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन ऋण के अनुपयोग के मामले में अच्छा कार्य करें।

11. सूचना का अधिकार, 2005 का क्रियान्वयन

निगम अपने कार्यकरण में पारदर्शिता में विश्वास रखता है। निगम का कंपनी सचिव इस समय सीपीआईओ के रूप में पदस्थापित है। आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए सीपीआईओ की अनुपस्थिति में वैकल्पिक पीआईओज नामित किए गए हैं। निगम आरटीआई आवेदन का निपटारा करते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाता है और जब कभी भी कोई आवेदन शुल्क या किन्हीं अन्य कमियों के साथ प्राप्त होते हैं तो निगम आवेदन को सही प्रकार से देने के लिए उन्हें शिक्षित करता है ताकि उन्हें सूचना दी जा सके। साथ ही प्राप्त नामंजूर प्रत्युक्तिरत अपील वाले आवेदनों का विवरण निगम की वेबसाइट <u>www.nhfdh.nic.in</u> पर अद्यतन किया जाता है जो डीओपीटी ओएम नंबर 4/10/2011-आईआर दिनांक 18.5.2011 के अनुसरण में है।

निगम त्रैमासिक आधार पर सीआईसी वेबसाइट www/cic/gov.in पर विनिर्दिष्ट रूप में आरटीआई आवेदनों से संबंधित सूचना भी अपलोड करता है।

2011-12 के दौरान प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों का विवरण निम्न प्रकार से है:

क)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	-43
ख)	प्रत्युतिरत/निपटाए गए आवेदनों की संख्या	-43 (इसमें अप्रैल 2012 में दो का जवाब दिया गया था)
ग)	मामलों की संख्या जिनमें सूचना नहीं दी गई	-शून्य
घ)	अपीलों की संख्या	- 0
च)	निर्णीत मामलों की संख्या	- 0
छ)	सीपीआईओ पर दण्ड/प्राप्त हुई निन्दा	-शून्य

11.1 आरटीआई अधिनियम, 2005 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निगम की पहल

निगम अपनी वेबसाइट को विषयवस्तुगत सूचना की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी बनाना चाहता है ताकि आम जनता को सूचना प्रदान की जा सके। हाल में निगम ने अपनी योजनाओं पर प्रश्न पूछने की पहल की है ताकि पर्याप्त सूचना के साथ उसका जवाब दिया जा सके।

कोई भी सूचना मांगने के लिए एनएचएफडीसी की वेबसाइट पर निम्नलिखित आईकॉन पर क्लिक करना होगा।

कृपया प्रश्न पूछिए

इस प्रक्रिया में निगम प्रमुख मुद्दों, आम जनता की सूचना आवश्यकताओं का पता लगाकर अपनी वेबसाइट पर संगत सूचना उपलब्ध करानी है।

12. आभार

आपके निदेशकगण सतत् मार्गदर्शन और सलाह के लिए विभिन्न सरकारी विभागों विशेषतया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा डीपीई, कंपनी के लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रण महालेखापरीक्षक के आभारी हैं।

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह0

(हर्ष भाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

दिनांक 11.09.2012

स्थान : फरीदाबाद

संलग्नक - I

निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है।)	अण्डमान एवं निकोबार आइलैंड इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., विकास भवन, पोस्ट बॉक्स नं. 180, पोर्ट ब्लेयर, ए. एण्ड एन.- 744 001
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विकलांग को-ऑपरेटिव कॉर्पोरेशन बी.आर.के.आर. भवन हैदराबाद -500 063
3.	अरुणाचल प्रदेश (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है।)	अरुणाचल प्रदेश कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लि. पीओ एण्ड टी नाहरलागुन "डी" सैक्टर, जिला: पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश - 791110.
4.	असम	असम कॉआपरेटिव अपेक्स बैंक लि. पान बाजार, गुवाहाटी -781001
5.	बिहार (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है।)	बिहार राज्य पिछड़ा जाति वित्त एवं विकास निगम चौथा तल, सोन भवन, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना - 800001 (बिहार)
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास समिति निगम टाउन हाल बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर-17-सी, चंडीगढ़-160017
7.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ नि:शक्तजन वित्त एवम् विकास निगम, समाज कल्याण विभाग का उपक्रम पुराना डीआरडीए भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)
8.	दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव (सामान्य ऋण करार अभी किया जाना है।)	दादरा एवं नगर हवेली, दमण एवं दीव अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जातियों अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड, दूसरी मंजिल, दाएं पर, लोक निर्माण विभाग कॉम्पलेक्स, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा-396 230
9.	दिल्ली	दिल्ली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक व विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लि., आंबेडकर भवन, इंस्टीट्यूश्नल एरिया सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110 085
10.	गोआ	गोआ राज्य अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति वित्त विकास निगम चौथा तल, पट्टू सेन्टर, कादम्बा बस स्टैंड के निकट, पणजी-403001, गोआ

निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी
11.	गुजरात	गुजरात अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लि., ब्लॉक नं. 11, दूसरा तल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर-382 010
12.	हरियाणा	हरियाणा पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर जनजाति कल्याण निगम एस.सी.ओ. 813-814 सैक्टर-22ए, चंडीगढ़-160 022
13.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ब्लॉक नं. 38, प्रथम तल, एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसमपटी, शिमला-171 009
14.	जम्मू कश्मीर	जम्मू कश्मीर राज्य महिला विकास निगम लि., होटल रिगादून के पीछे, डल गेट ब्लॉक-ए, पुराना सचिवालय, श्रीनगर, कश्मीर-190 001 (मई से अक्तूबर तक) 615-ए, गांधी नगर, जम्मू-180012 (नवंबर से अप्रैल तक)
		जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम एक्सचेंज रोड, नजदीक रैड क्रॉस, धर्मनाथ ट्रस्ट कौंसिल, श्रीनगर, कश्मीर-190 001 (मई से अक्टूबर तक)
		रोमेश मार्केट, शास्त्रीनगर, जम्मू-180 004 (नवम्बर से अप्रैल तक)
15.	झारखण्ड	झारखण्ड आदिवासी सहकारी विकास निगम बलिहार रोड, मोरीवादी, रांची – 834 004
16.	कर्नाटक	कर्नाटक स्टेट वूमेन डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन लि., 6वां तल, जयानगर शॉपिंग कॉम्पलैक्स, जयानगर, बैंगलार-560011
17.	केरल	केरल स्टेट हैन्डीकैप्ड परसन्स वेलफेयर कॉरपोरेशन लिमिटेड, टी.सी. 17/230 (1) जुवेनाइल होम कम्पाउंड, पूजापूरा, तिरूवनन्तपुरम - 695 012
		केरल स्टेट वूमेन्स डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन लि. बसन्त- टी.सी. 20/2170 नजदीक मनमोहन बंगला, कोडिसर, तिरूवनन्तपुरम - 695 012
18.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप खादी एवं ग्रामोद्याग बोर्ड कावराटी - 682 555, लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र

निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी
19.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन, प्रथम तल, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462 002 (मध्य प्रदेश)
		मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि., राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल - 462 002 (मध्य प्रदेश)
		मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, 35, श्यामला हिल्स, राजीव गांधी भवन, 35 श्यामला हिल्स भोपाल - 462 002 (मध्य प्रदेश)
		मध्य प्रदेश विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, 1250, तुलसी नगर, भोपाल - 462 002 (मध्य प्रदेश)
20.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि. कमरा सं. 74, महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड बिल्डिग, भूमि तल बांद्रा कुरला, काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई, महाराष्ट्र-400 051
21.	मणिपुर (सामान्य ऋण करार अभी निष्पादित किया जाना है।)	मणिपुर स्टेट वूमैन्स डेवैल्पमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड डायरेक्टर बिल्डिंग, नजदीक द्वितीय एम.आर. गेट, समाज कल्याण विभाग भवन, इम्फाल-795 001 मणिपुर
22.	मेघालय	मेघालय कॉआपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, महात्मा गांधी मार्ग, शिलांग-793 001
23.	मिज़ोरम	मिजोरम ग्रामीण बैंक, हैड ऑफिस बी-5, बाबू टोला, जारक्वाट, ऐजवल, मिजोरम-796 001
24.	नागालैंड	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, नागालैंड सिविल सचिवालय, नागालैंड सरकार कोहिमा 797 001
25.	उड़ीसा	महिला विकास समवाया निगम, ब्लॉक-ए-1, भूमितल, तोशालो प्लाजा, सत्यनगर, भुवनेश्वर-751 007
26.	**पुडुचेरी**	**पुडुचेरी** कार्पोरेशन फॉर डेवैल्पमेन्ट ऑफ वूमैन एण्ड हैंडीकैप्ड पर्सन्स लि. नं. 30, दूसरा क्रास, पोननगर, रेडियार प्लायम, पूडूचेरी-605 010
27.	पंजाब	पंजाब अ.जा. भूमि वित्त एवं विकास निगम एस.सी.ओ.नं. 101/103, सैक्टर-17 सी, चंडीगढ-160010
28.	राजस्थान	राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम नेहरू सहकार भवन, सेन्ट्रल ब्लॉक, तीसरा तल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-382001
29.	सिक्किम	सिक्किम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि., सोनम तरोरिंग मार्ग, गैंगटोक, सिक्किम-737 101

निगम की स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सियां

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी
30.	त्रिपुरा	त्रिपुरा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लि. पीओ. लेक छाओमुहानी, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा - 799 101
31.	तमिलनाडु	तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कॉआपरेटिव बैंक लिमिटेड, नं. 4, (पुराना नं. 233), नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, चेन्नई-600 001 (तमिलनाडु)
32.	उत्तराखण्ड	उत्तरांचल बहुउद्देश्यीय वित्त एवं विकास निगम लि. भवन सं. 161, नेहरू नगर (पुरानी नेहरू कॉलोनी) हरिद्वार रोड, देहरादून- 248 001
33.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल महिला विकास संस्थान एल, ए-ब्लॉक, सैक्टर-3, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700 091 (प. बंगाल)

संलग्नक -II

राज्यवार ऋण वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12	
		संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	असम	0.91	100	0.00	0
2.	चंडीगढ	0.11	48	0.02	8
3.	छत्तीसगढ	2.33	152	2.85	160
4.	दिल्ली	0.40	144	0.10	36
5.	गोवा	0.10	8	0.10	8
6.	गुजरात	0.30	76	1.70	435
7.	हरियाणा	1.93	292	9.27	1838
8.	हिमाचल प्रदेश	2.33	208	2.20	228
9.	जम्मू-कश्मीर	0.99	105	1.57	176
10.	झारखण्ड	0.97	78	0.00	0
11.	कर्नाटक	1.00	200	0.70	101
12.	केरल	0.00	0	2.18	290
13.	लक्षद्वीप	0.19	22	0.10	13
14.	मध्य प्रदेश	0.86	88	0.02	1
15.	महाराष्ट्र	4.09	310	2.42	319
16.	मेघालय	0.10	20	0.53	85
17.	मिजोरम	0.50	175	0.00	0
18.	उड़ीसा	1.76	365	0.36	27
19.	पांडिचेरी	0.39	74	2.83	392
20.	पंजाब	0.73	80	1.50	320
21.	राजस्थान	2.01	239	1.35	124
22.	सिक्किम	0.06	2	0.05	13
23.	तमिलनाडु	7.96	3239	8.79	3624
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	4.65	921
25.	उत्तरांचल	0.35	56	7.27	1444
26.	पश्चिम बंगाल	1.47	272	0.32	62
	कुल	31.84	6356	50.86	10625

संलग्नक -III

सहमति ज्ञापन 2011–12 के लक्ष्यों की प्रप्ति

क्रमांक	ब्योरा	इकाई	भरांक	लक्ष्य उत्तम	प्राप्ति
1	स्थाई / वित्तीय मापदंड (40%)				
1.1	सकल लाभ	करोड़ रूपये	11	4.58	4.34
1.2	संवितरण	करोड़ रूपये	13	50.00	50.86
1.3	सरकारी अनुदान सहायता के अलावा स्त्रोत से जुटाए गए कुल संसाधनों का प्रतिशत	%	03	50.00	50.86
1.4	लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्ष के अंत में केंद्रीय सरकार के लोक उद्यमों का सकल लाभ/ कुल रोजगार	अनुपात	02	0.1348	0.1447
1.5	देय राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली	%	05	73.05	73.25
1.6	अलग अलग वर्षो के लिए अतिदेय राशि के प्रतिशत के रूप में वसूली उपयोग (1) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6	%	06 40	3.92	39.64
2.	गैर वित्तीय मापदंड (60%)				
2.1	वर्ष के दौरान सहायता पाने वाले लाभार्थी	संख्यांक	10	1000	10625
2.2	वर्ष के दौरान निरीक्षित लाभार्थियों का प्रतिशत	%	10	0.48	0.61
2.3	निरीक्षण के दौरान पाए गये ऐसे लाभार्थियों का प्रतिशत जिनके स्वामित्व में सृजित आस्तियां है	%	08	84.25	85.28
2.4	कार्यशालाएं/ जागरूकता सृजन कार्यक्रम	संख्यांक	06	14	18
2.5	निरीक्षण के दौरान सहायता पाने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत जिन्हें गरीबी रेखा को पार किया हुआ पाया गया।	%	02	8	60.38
2.6	पीई सर्वेक्षण और शास्तियों संबंधी पूर्ण आंकडा सूची की डी पी ई को प्रस्तुति	समय सीमा	01	15.09.11	15.10.11
2.7	अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व (चयन समिति/बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य की नई नियुक्ति/प्रतिनिधित्व	संख्यांक	01	––	1
3.	अनिष्पादित आस्तियों में प्रतिशत कमी – वर्षवार ब्योरा	%	05	7.48	–283.12
4.	क्षेत्रीय/राज्य मेलों/शिविरों/प्रदर्शनियों में सहभागिता	संख्यांक	05	15	16
5.	लक्षित समूह की संख्या जिन्हें उद्यमिता विकास/ कार्यकौशल विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिलती है।	संख्यांक	04	689	709
6.	तैयार की गई योजना	समय सीमा	02	03.9.11	तैयार नहीं
7.	विद्यमान योजनाओं को चलाने के लिए सरकारी विभागों के साथ साझेदारी	संख्यांक	02	3	3
8.	लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए ईडीपी संस्थाओं के साथ भागीदारी	संख्यांक	02	3	3
9.	विभिन्न संस्थाओं को उनका उद्धेश्य प्राप्त करने के लिए निवल कार्यकरण	समय सीमा	02	31.12.11	31.12.11 से पहले
	उप कुल 2.(2+3+4+5+6+7+8+9)		60		
	योग (1+2)		100		

संलग्नक -IV

2011–12 के दौरान आयोजित दक्षता विकास परियोजनाएं और कार्य कौशल विकास कार्यक्रम

राज्य	परामर्शी फर्मो का नाम	दक्षता विकास कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षओं की संख्या	कार्यकौशल कार्यक्रमों की सं.
कर्णाटक	एईपीसी आरडीएण्ड डब्ल्यूएफ	उन्नत विशेष मशीन आप्रेटर पाठक्रम में प्रशिक्षण	40	2
राजस्थान	सीआईपीईटी, जयपुर	ऑटो कैड में प्रमाणपत्र पाठयक्रम	20	1
		मोल्ड पालिशिंग और इन्स्पेक्शन	20	1
		में प्रमाणपत्र पाठयक्रम		
		इन्जेक्शन मोल्डिंग मशीन प्रमाणत्र	25	1
		पाठ्यक्रम		
ओड़िशा	वीआरसी फॉर हैन्डीकैप्ड भुवनेश्वर	टाइपिंग और कंप्यूटर	8	1
		रेडियो और टीवी	9	1
		कारपेंटरी और केनवर्क	7	1
		मेटल		
गुजरात	वीआरसी फॉर हैन्डीकैप्ड, अहमदाबाद	रेडियो और टीवी	10	1
		रेफ्रीजरेशन और एसी	10	1
		ऑटो मरम्मत	10	1
		आंशलिपि और वाणिज्यिक प्रक्रिया	10	1
		आरमैच्योर और कॉयल वान्डिंग	10	1
		मेटल	10	1
		जिल्दसाजी	10	1
महाराष्ट्र	वीआरसी फार हैन्डीकैप्ड, मुंबई	कार्यशियल प्रैक्टिस बेसिक कम्पयूटर	27	2
		कला और शिल्प (डेस्क प्रशिक्षण)	12	2
		ऋण/ जिल्दसाजी	8	2
		इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स	14	2
		रेडियो और टीवी	13	2
		ऑटोमोबाइल इंजीनियरी	6	2
		सिलाई कटाई	13	1

राज्य	परामर्शी फर्मो का नाम	कार्य कौशल विकास कार्यक्रम का नाम	प्रशिक्षओं की संख्या	कार्यकौशल कार्यक्रमों की सं.
उत्तर प्रदेश	वीआरसी फॉर हैन्डीकैप्ड, कानपुर	सिलाई और कटाई	7	2
		फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर रेडियो और टीवी	8	2
		ड्रेस मेकिंग और हौजरी	9	2
		कारपेंटरी	3	1
		इलेक्ट्रिक्ल/इलेक्ट्रानिक्स	20	2
		कमर्शियल	13	1
हिमाचल प्रदेश	वीआरसी फॉर हैन्डीकैप्ड, ऊना	कम्प्यूटर अनुप्रयोग	10	1
		ऑटोमोबाइल मैकेनिक	10	1
		ड्रेस मेकिंग	10	1
		जनरल इलेक्ट्रानिक्स	10	1
हरियाणा	एटीडीसी, बल्लभगढ़	सिलाई मशीन आप्रेटर कोर्स	25	1
आन्ध्रप्रदेश	वीआरसी फार हैन्डीकैप्ड, हैदराबाद	सिलाई–कटाई	100	1
		इलेक्ट्रानिक्स	100	1
		कारपेंटरी और केन बुनाई	100	1
		घडी साजी	100	1
		अनुसचिवीय कार्य	100	1
		आटोमोबाइल इंजीनियरी	100	1
		मुद्रण और जिन्दसाजी	100	1
		रेफ्रीजरेशन और एसी	100	1
		मेटल	100	1
तमिलनाडु	वीआरसी फॉर हैन्डीकैप्ड, चेन्नै	कमर्शियल	20	1
		घरेलू उपकरण	20	1
		मेटल	20	1
		रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रानिक्स	20	1
		फोटोग्राफी	20	1
		अनुसचिवीय कार्य	20	1
		सिलाई और कढ़ाई	20	1
		स्क्रीन प्रिटिंग	20	1
मध्यप्रदेश	वीआरसी फॉर हैन्डीकैप्ड, भोपाल	आर्क वेल्डर/वेल्डिंग मेटल	11	1
		घरेलु उपकरणों की मरम्मत (टीवी और रेडियो)	6	1
		कम्प्यूटर अनुप्रयोग, एमएस वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट	12	1
कुल			709	64

संलग्नक -V

राष्ट्रीय आवंटन की तुलना में ऋण संवितरण में एससीएज का कार्यनिष्पादन/योगदान (31.3.2012 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	एससीएज/राज्य का नाम	आनुमानिक आवंटन राशि	संवितरण (राशि)	आनुमानिक आवंटन का लक्ष्य प्राप्त न करने का कारण
1.	ए.पी.विकलांगुला कोआपरेटिव कार्पोरेशन, आन्ध्र प्रदेश (एपीवीसीसी)	3.77	शून्य	i) अतिदेय की अदायगी न किया जाना ii) एपीवीसीसी द्वारा प्रस्तावों का प्रस्तुत न किया जाना
2.	अण्डमान एण्ड निकोबार आई लैण्ड इंटीग्रेटिव डेव. कार्पोरेशन, अण्डमान एण्ड निकोबार (एएनआईआईडीसी)	0.20	शून्य	सामान्य ऋण करार (जीएलए) का एएनआईडीसी द्वारा निष्पादित न किया जाना
3.	असम कोआपरेटिव अपैक्स बैंक, असम (एसीएबी)	4.64	शून्य	i) बकाया देय राशियों की अदायगी न किया जाना ii) एसीएबी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होना
4.	अरुणाचल प्रदेश कोआपरेटिव अपैक्स बैंक, अरुणाचल प्रदेश (एपीसीएबी)	0.20	शून्य	एपीसीएबी द्वारा जीएलए और बीजीजी का निष्पादन न किया जाना
5.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार (बीएसबीसीएफडीसी)	5.22	शून्य	
6.	चंडीगढ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटड, चंडीगढ (सीसीडब्लयूडीसी)	0.20	0.20	सीसीडब्ल्यूडीसी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
7.	छत्तीसगढ निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, छत्तीसगढ (सीएनवीएवीएन)	2.14	2.85	
8.	दिल्ली अनु.जा./अनु.जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग वित्त एवं विकास निगम लि.,दिल्ली (डीएसएफडीसी)	0.65	0.10	एससीए से प्रस्ताव प्राप्त नही हुए
9.	दादर और नगर हवेली, दमन और दीव अनु.जा./ अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम लि., दादर और नगर हवेली, दमन और दीव (डीएनएचडीडीएससीएसटीओबीसीएमएफडीसी)	0.40	शून्य	डीएनएचडीडीएससीएसटी ओबीसीएमएफडीसी द्वारा जीएलए का निष्पादन न किया जाना।

क्रमांक	एससीएज/राज्य का नाम	आनुमानिक आवंटन राशि	संवितरण (राशि)	आनुमानिक आवंटन का लक्ष्य प्राप्त करने का कारण
10.	गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि., गोवा (जीएसएससीओबीसीएफडीसी)	0.20	0.10	जीएसएससीओबीसीएफडीसी से प्रस्ताव प्राप्त नही हुए
11.	गुजरात अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, गुजरात (जीएमएफडीसी)	3.39	1.70	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
12.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा	4.53	9.25	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई हुई
13.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश (एचपीएमएफडीसी)	1.80	2.20	
14.	जम्मू और कश्मीर राज्य महिला विकास निगम, जम्मू और कश्मीर (जेकेडब्ल्यूसी)	0.32	0.57	
15.	जम्मू और कश्मीर अनु.जा., अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम लि. जम्मू और कश्मीर (जेकेएससीएसटीओबीसीडीसी)	0.52	1.00	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
16.	झारखण्ड जनजाति विकास निगम, झारखण्ड (जेटीडीसी)	1.24	शून्य	i) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई हुई ii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया। iii) जेटीडीसी से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए

क्रमांक	एससीएज/राज्य का नाम	आनुमानिक आवंटन राशि	संवितरण (राशि)	आनुमानिक आवंटन का लक्ष्य प्राप्त करने का कारण
17.	कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम लि., कर्नाटक (केएसडब्ल्यूडीसी)	2.60	0.70	i) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई हुई ii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया। iii) केएसडब्ल्यूडीसी से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
18.	केरल राज्य विकलांग व्यक्ति कल्याण निगम लि., केरल (केएसएचपीडब्ल्यूसी)	2.38	2.18	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
19.	लक्षद्वीप खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड, लक्षद्वीप (एलकेवीआईबी)	0.20	0.10	पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए
20.	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश (एमपीपीवीएवीएवीएन)	0.74	0.10	अतिदेय की अदायगी नहीं हुई
21.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश (एमपीआरएसएजेवीएवीएन)	2.64	शून्य	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
22.	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश (एमपीएवीवीएन)	0.20	शून्य	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) अतिदेय की अदायगी नहीं हुई हुई iii) उपयोग ब्यौरा नहीं दिया गया।
23.	मध्य प्रदेश विकलांग कल्याण एवं विकास समिति, मध्य प्रदेश (एमपीएचडब्लूडीएस)	0.20	0.05	i) राज्य सरकार से पर्याप्त सरकारी प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हुई ii) प्रस्ताव प्राप्त न होना।

संलग्नक - VI

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नित						
					आरक्षित रिक्तियां			1.4.2011 से 31.3.2012 तक नियुक्तियों की संख्या				रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.	कुल	दृ.वि.	श्र.वि.	अ.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
क	12	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख	1	-	-	-	*-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग	12	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
घ	5	-	1	-	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	30	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट: 1) दृ.वि. - दृष्टि विकलांग (अन्धे व कमजोर नजर वाला व्यक्ति) को दर्शाता है।
2) श्र.वि - श्रवण विकलांग (कानों से कम सुनने वाला व्यक्ति) को दर्शाता है।
3) अ.वि. - अस्थि विकलांग (चलन नि:शक्तता व गंभीर रूप से सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त) को दर्शाता है।

* दृ.वि की रिक्ति जब भी होगी भर ली जायेंगी।
** अनारक्षित कोटे से
***श्र.वि. श्रेणी हेतु आरक्षित पद पर श्रवण विकलांग की नियुक्ति कर ली गई है।

संलग्नक - VII

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी श्रेणी का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या (1.4.2011 से 31.3.2012)									
					सीधी भर्ती		पदोन्नति द्वारा			दूसरे तरीके से				
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग को	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग को	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल.	अ.जा.	अ.जन.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
श्रेणी क	12	02#	-	03*	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी ख	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी ग	12	01	-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	05	01#	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रेणी घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	30	04	-	07	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी :

1) अ.जा. - अनुसूचित जाति
2) अ.ज.जा. - अनुसूचित जनजाति
3) अ.पि.श्रे. - अन्य पिछड़ी श्रेणी

श्रेणी क और घ में अनुसूचित जाति के एक–एक कर्मचारी की अनारक्षित कोटे में भर्ती कर ली गई है।
* श्रेणी क के अन्य पिछड़ा वर्ग के एक–एक कर्मचारी की अनारक्षित कोटे में भर्ती कर ली गई है।

संलग्नक–VIII

वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में टिप्पणियों / अर्हताओं पर प्रबंधकों के जवाब

पैरा	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधकों का जवाब
4.6.1–	निगम ने चालू वर्ष के 1,14,762 रूपये को आय माना है हालांकि यह लेखाओं पर ब्याज से संबद्ध है जिन्हें अनअर्जक आस्तियां घोषित किया गया है हमारी राय में यह उचित नहीं है, तथापि, इस राशि के लिये पूरा प्रावधान किया गया है।	प्रावधान निगम की स्वीकृत नीति के अनुसार किया गया है। आय को लेखाकरण के प्रोद्भूत आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसका पालन निगम करता आ रहा है। (देखिएः वार्षिक लेखाओं के टिप्पणी1 का पैरा 1.5)
4.6.2–	ऋण रजिस्टर व आम बही खातों का लंबे समय से मिलान नहीं किया गया। तथापि, बाहरी एजेन्सी द्वारा अब यह काम किया जा रहा है किन्तु कोई सुधार प्रविष्टियां अभी तक पारित नहीं हुई है, अतः स्थिति पिछले साल की तरह ही बनी हुई है अतः आय व व्यय खाते में ब्याज के आय के आंकड़े व इसी प्रकार तुलन पत्र में ऋण व अग्रिम के आंकडे (सिर्फ ब्याज संचय का भाग) हो सकता है, ठीक न हो, इससे अविलंब वित्तीय वर्ष 2012–13 में निपटा जाए।	वित्तीय वर्ष 2011–12 तक आम बही खाते का ऋण खातों से मिलान के वास्ते निगम ने एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को काम सौंपा था। यह फर्म आम बही खाते का ऋण खातों से मिलान को काम पूरा कर चुकी है जिसकी जांच अभी निगम ने करनी है। निगम इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाएगा। पूर्व वर्षो के लिए बही खातों का मिलान 31–12–2012 तक पूरा कर लिया जाएगा चालू वर्ष के लिए बही खातों का मिलान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
4.6.3–	चूककर्ता मध्यस्थ एजेन्सियों से न तो दांडिक ब्याज और न ही परिसमाप्त नुकसान की वसूली की जा रही है। हालांकि ब्याज माफ करने के लिए 18–12–2003 को बोर्ड ने निर्णय लिया था परन्तु यह निर्णय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के अध्यधीन था। पिछली बार सरकार के साथ पत्र व्यवहार 20–3–2007 को दिया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और कोई अनुवर्ती कार्यवाही भी नहीं की गई। वर्ष 2011–12 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दांडिक ब्याज	जहां तक दांडिक ब्याज और निर्णीत हर्जाने का ताल्लुक है निदेशक मंडल मामले पर विचार करेगा।

पैरा	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधकों का जवाब
	के लिए (3% की दर से) आंकलन 47.06 लाख रूपये बैठता है। यह आंकड़ा बढ़कर काफी अधिक हो जाता है। अगर 3% के साथ 2% दांडिक ब्याज तथा परिसमाप्त नुकसान का भी हिसाब लगाया जाए और यदि इसे पिछली तारीख से लागू किया जाए।	
4.6.4–	निगम ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23) (ग) (4) के अधीन आयकर छूट के लिए 31 मई, 2006 को आवेदन दिया था, अभी तक छूट प्रमाण पत्र नहीं मिला है।	निगम ने एक व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ड फर्म को इस मामले में मार्गदर्शन करने आयकर प्राधिकारियों के साथ मामला उठाने व निगम के लिए छूट प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया है। इस संदर्भ में लेखाओं संबंधी टिप्पणों के 2.5 को नोट करें।
4.6.5–	वित्तिय वर्ष 2011–2012 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक 1 मई 2012 को नियुक्त किया गया हालांकि आंतरिक लेखपरीक्षा का दायरा पर्याप्त था। लेकिन अंतिम रिपोर्ट 12 जुलाई, 2012 को प्राप्त हुई थी इसलिए सभी शुद्धियां सांविधिक लेखारीक्षा के पूर्ण होने से पहले नहीं की जा सकी।	आंतरिक सांवधिक लेखापरीक्षा कार्यो को मजबूत करने के वास्ते निगम उपयुक्त कदम उठायेगा।
4.6.6–	निगम ने अपने कर्मचारियों के लाभार्थ 30 जून,2011 को "एनएचएफडीसी कर्मचारी समूह उपदान योजना"नामक एक अलग उपदान न्यास बनाया है, तथापि आज की तारीख में निम्नलिखित अनिवार्य कार्यवाही नहीं की गई है। क) न्यास पत्र को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है। ख) नये न्यास ने कोई अलग लेखे तैयार नहीं किए हैं। ग) कोई लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया है और परिणामतः 31मार्च,2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोई लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। घ) आयकर स्थायी लेखा सं० नहीं ली गई है। यह निगम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यास पत्र के अनुसार, नये न्यास द्वारा निधि आदि का न लाने में आए खर्च का भार निगम को	टिप्पणियां नोट कर ली गई है। और इस दिशा में उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

पैरा	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधकों का जवाब
	उठाना होगा। चूंकि न्यास अभी पंजीकृत नहीं है तो न्यास को होने वाली सारी आय कर योग्य होगी और आय कर अदा करना होगा जो अन्ततः निगम के लिए इसकी देनदारी होगी।	
4.6.7–	विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि) और छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) के बीच मिलान अभी तक नहीं किया गया है। अतः इन दो शीर्षों के अधीन तुलना पत्र में शामिल प्रत्येक आंकड़ा सही नहीं होगा हालांकि प्रत्येक आंकड़ा सही नहीं होगा हालांकि संपूर्ण आंकड़े सही है।	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009–10 से राट्रीय निधि से विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति चलाने का काम निगम को सौंपा है। निगम ने इस प्रयोजनार्थ एक बचत बैंक खाता खोला था। बाद में, निगम को न्यास निधि से विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति चलाने को काम सौंपा गया और सरकार से 24–1–11को इस निधि से 5.10 करोड़ रूपये प्राप्त हुए। चूंकि इस योजना (न्यास निधि) से धनराशि निकालने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं पडी समस्त राशि निर्धारित जमा खाते मे डाल दी गई, 5,10 करोड़ रूपये की निर्धारित जमा खाते की परिपक्वावधि राशि बचत खाते में रखी गई जिसे राष्ट्रीय निधि हेतु खोला गया क्योंकि इस निधि के अलग बैंक खाता खोला जाना था। न्यास निधि से प्रेषित धनराशि राष्ट्रीय निधि के लिए खोले गए उपर्युक्त बैंक खाते से ली गई तत्पश्चात् न्यास निधि से संबंधित शेष धनराशि न्यास निधि के लिए खोले गये अलग बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई।

पैरा सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधकों का जवाब
4.6.8– कार्यकौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए रखा गया 17,21,652 रूपये के ऋण शेष का मिलान नहीं किया गया है, इस धनराशि का औचित्य इस मिलान के बाद ही पता लगाया जा सकता है।	निगम आवश्यक कार्यवाही करेगा और 2012–13 के वित्तीय वर्ष के दौरान इस मुद्दे का समाधान करेगा।

संलग्नक–IX

दीपक विरमानी,एफसीए
अभिजीत रॉय, एफसीए,एलएलबी
अरुण कुट्टी, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
नितिन राजपूत, एसीए

विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
709-710, अंसल चैम्बर-II
6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066
टेली: 261955564, 26193870 फैक्स: 26187790
ई मेल: vrkca@airtelmail.in, Website :http://www.vrkca.com

निगम प्रशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन,

हमने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी का०ज्ञा०सं०18(8)/2005 जी एम दिनांक 14 मई, 2010 में परिकल्पिक 31मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन (कारपोरेशन) द्वारा निगम प्रशासन की शर्तो के अनुपालन की जांच की है।

निगम प्रशासन की शर्तो का अनुपालन प्रबंधक का दायित्व है। हमारी जांच प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित हैं जिसे निगम ने निगम प्रशासन की शर्तो के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया है। यह निगम के वित्तीय विवरणों पर न तो कोई संपरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है

हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा निगम के पास उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर निगम प्रशासन की उन शर्तो का अनुपालन किया है जो केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगम प्रशासन के संबंध में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशार्निदेशों में विहित है:

(क) निगम को उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति का अभी शुभारंभ करना है।
(ख) कुल आठ निदेशको में से छह निदेशकों ने आचार संहिता के प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
(ग) दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल तीन माह से अधिक रहा :
(घ) निगम ने सूचना प्रदाता नीति नहीं बनाई हैं। और
(ड़) गठित लेखापरीक्षा समिति की वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई है।

हमारा आगे कहना है कि इस प्रकार का अनुपालन निगम की भावी व्यवहार्यता और तथा निगम के कार्यो को चलाने में प्रबंधकों की कार्यकुशलता और प्रभावीपन के प्रति कोई आश्वासन है।

कृते विरमानी राय और कुट्टी
चार्टर्ड अंकाउन्टेन्ट्स
(फर्म पंजीकरण सं० 010514एन)

ह0
(अरूण शंकरन कुट्टी)
साझेदार
सदस्यता सं. 084560

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 10.09.2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन, के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुरूप, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन के वित्तीय प्रतिवेदन वितरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधकों की है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। जो कि व्यवसायिक निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखाकंन और प्रत्याभूति मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के रूप में होने चाहिए। इसको दिनांक 10-9-2012 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार पूरा कर लेने का संकेत किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के तहत नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा मैंने स्वतंत्र रूप से की है। कार्य सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बिना किया गया है और यह मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों व कंपनी कर्मचारियों की गई पूछताछ तथा कुछ चयनित लेखा रिकार्ड की जाँच तक सीमित है। मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जाए या जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) में अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की पूर्ति करता हो।

कृते भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक

ह0
(जॉन के. सेल्ट)
प्रधान निदेशक, वाणिय लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-III

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 25.09.2012

दीपक विरमानी,एफसीए
अभिजीत रॉय, एफसीए,एलएलबी
अरुण कुट्टी, एफसीए, डीआईएसए (आईसीएआई)
नितिन राजपूत, एसीए

विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स
709-710, अंसल चैम्बर-II
6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066
टेली: 261955564, 26193870 फैक्स: 26187790
ई मेल: vrkca@airtelmail.in, Website :http://www.vrkca.com

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन के सदस्यों हेतु लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन के 31 मार्च 2012 तक के संलग्न तुलन पत्र तथा उसी तिथि को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के आय-व्यय और नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है जिस पर हमने इस रिपोर्ट के संदर्भाधीन हस्ताक्षर किए हैं। ये वित्तीय विवरण निगम प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा योजना और निष्पादन इस प्रकार करें ताकि वित्तीय विवरणों के बारे में तात्विक गलत बयानी से मुक्त होने का उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटन के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षण के आधार पर जांच की जाती है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों एवं आकलनों के साथ-साथ समस्त वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) के संबंध में जारी आदेश, 2003 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है क्योंकि उक्त आदेश इस निगम के लिए लागू नहीं होता क्योंकि यह उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत है।

4. हम रिपोर्ट देते हैं कि :-

4.1 हमने ऐसी सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी पूरी जानकारी एवं विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

4.2 हमारी राय में निगम के लेखा बही खातों की जांच से पता लगता है कि निगम ने सभी लेखा खाते विधिवत् बना रहे हैं।

4.3 इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र आय-व्यय खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही खातों के अनुरूप हैं।

4.4 हमारी राय में, इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र आय-व्यय लेखा में तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में उल्लिखित लेखा मानकों का पालन करते हैं।

4.5 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते हैं।

4.6 हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण निम्नानुसार के अध्यधीन हैं:

4.6.1– निगम ने चालू वर्ष के 1,14,762 रूपये को आय माना है हालांकि यह लेखाओं पर ब्याज से संबद्ध है जिन्हें अनअर्जक आस्तियां घोषित किया गया है हमारी राय में यह उचित नहीं है, तथापि, इस राशि के लिये पूरा प्रावधान किया गया है।

4.6.2– ऋण रजिस्टर व आम बही खातों का लंबे समय से मिलान नहीं किया गया। तथापि, बाहरी एजेन्सी द्वारा अब यह काम किया जा रहा है किन्तु कोई सुधार प्रविष्टियां अभी तक पारित नहीं हुई है, अतः स्थिति पिछले साल की तरह ही बनी हुई है अतः आय व व्यय खाते में ब्याज के आय के आंकड़े व इसी प्रकार तुलन पत्र में ऋण व अग्रिम के आंकडे (सिर्फ ब्याज संचय का भाग) हो सकता है, ठीक न हो, इससे अविलंब वित्तीय वर्ष 2012–13 में निपटा जाए।

4.6.3– चूककर्ता मध्यस्थ एजेन्सियों से न तो दांडिक ब्याज और न ही परिसमाप्त नुकसान की वसूली की जा रही है। हालांकि ब्याज माफ करने के लिए 18–12–2003 को बोर्ड ने निर्णय लिया था परन्तु यह निर्णय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के अध्यधीन था। पिछली बार सरकार के साथ पत्र व्यवहार 20–3–2007 को दिया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और कोई अनुवर्ती कार्यवाही भी नहीं की गई। वर्ष 2011–12 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दांडिक ब्याज के लिए (3% की दर से) आंकलन 47.06 लाख रूपये बैठता है। यह आंकड़ा बढ़कर काफी अधिक हो जाता है। अगर 3% के साथ 2% दांडिक ब्याज तथा परिसमाप्त नुकसान का भी हिसाब लगाया जाए और यदि इसे पिछली तारीख से लागू किया जाए।

4.6.4– निगम ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23) (ग) (4) के अधीन आयकर छूट के लिए 31 मई, 2006 को आवेदन दिया था, अभी तक छूट प्रमाण पत्र नहीं मिला है।

4.6.5– वित्तिय वर्श 2011–2012 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक 1 मई 2012 को नियुक्त किया गया हालांकि आंतरिक लेखपरीक्षा का दायरा पर्याप्त था। लेकिन अंतिम रिपोर्ट 12 जुलाई, 2012 को प्राप्त हुई थी इसलिए सभी भुद्धियां सांविधिक लेखारीक्षा के पूर्ण होने से पहले नहीं की जा सकी।

4.6.6– निगम ने अपने कर्मचारियों के लाभार्थ 30 जून,2011 को "एनएचएफडीसी कर्मचारी समूह उपदान योजना"नामक एक अलग उपदान न्यास बनाया है, तथापि आज की तारीख में निम्नलिखित अनिवार्य कार्यवाही नहीं की गई है।

क) न्यास पत्र को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन पंजीकृत नहीं किया गया है।

ख) नये न्यास ने कोई अलग लेखे तैयार नहीं किए हैं।

ग) कोई लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया गया है और परिणामतः 31मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोई लेखापरीक्षा पूर्ण नहीं हुई है।

घ) आयकर स्थायी लेखा सं० नहीं ली गई है।

यह निगम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यास पत्र के अनुसार, नये न्यास द्वारा निधि आदि का न लाने में आए खर्च का भार निगम को उठाना होगा। चूंकि न्यास अभी पंजीकृत नहीं है तो न्यास को होने वाली सारी आय कर योग्य होगी और आय कर अदा करना होगा जो अन्ततः निगम के लिए इसकी देनदारी होगी। उठाना होगा। चूंकि न्यास अभी पंजीकृत नहीं है तो न्यास को होने वाली सारी आय कर योग्य होगी और आय कर अदा करना होगा जो अन्ततः निगम के लिए इसकी देनदारी होगी।

4.6.7– विकलांगों के लिए छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि) और छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि) के बीच मिलान अभी तक नहीं किया गया है। अतः इन दो शीर्षों के अधीन तुलना पत्र में शामिल प्रत्येक आंकड़ा सही नहीं होगा हालांकि प्रत्येक आंकड़ा सही नहीं होगा हालांकि संपूर्ण आंकड़े सही है।

4.6.8– कार्यकौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए रखा गया 17,21,652 रूपये के ऋण शेष का मिलान नहीं किया गया है, इस धनराशि का औचित्य इस मिलान के बाद ही पता लगाया जा सकता है।

लेखाओं पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित हो तथा कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा वांछित सूचना अपेक्षित तरीके से दी गई है तथा भारत में सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार सत्य हो तथा उचित दृष्टिकोण प्रस्तत किया गया है।

i) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2011 की तारीख में संकार्य
ii) आय-व्यय लेखा के मामलों में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निगम का अधिशेष
iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामलों में उस तिथि को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह ।

कृते विरमानी, रॉय एण्ड कुट्टी
एफआरएन : 010514एन
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स

ह0
अरूण एस. कुट्टी
(साझेदार)
सदस्यता सं. 084560

तिथि: 10.9.2012
स्थान: नई दिल्ली

वार्षिक लेखाओं की विषय वस्तु

तुलन पत्र
आय–व्यय लेखा विवरण
नकदी प्रवाह क : प्रचालनीय गतिविधियाँ
नकदी प्रवाह ख : निवेश गतिविधियाँ
नकदी प्रवाह ग : वित्तपोषण गतिविधियाँ और रोकड़ और रोकड़ तुल्यराशि का मिलान
नोट 1 निगम सूचना और विशेष लेखाकरण नीतियां
नोट 2 निगम लेखाओं के नोट
नोट 2.1 शेयर पूंजी
नोट 2.1 क शेयर पूंजी – मिलान
नोट 2.2 आरक्षित और अधिशेष निधि
नोट 2.3 दीर्घकालिक प्रावधान
नोट 2.4 अन्य चालू देनदारियां
नोट 2.5 अल्पकालिक प्रावधान
नोट 2.6 मूर्त परिसंपत्तियां
नोट 2.6 (क) सुनिश्चित परिसंपत्तियों अन्य ब्योरे
नोट 2.7 दीर्घकालिक ऋण व अग्रिम
नोट 2.8 व्यापार प्राप्तियां
नोट 2.9 रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य राशि
नोट 2.10 अल्पकालिक ऋण और आदिम
नोट 2.11 अन्य चालू, परिसंपत्तियाँ
नोट 2.12 प्रचालन जनित राजस्व
नोट 2.13 अन्य आय
नोट 2.14 कर्मचारी लाभार्थ व्यय
नोट 2.15 अन्य व्यय
नोट 2.15 (क) अन्य व्यय (पूर्वावधि मदों का ब्योरा)
नोट 2.16 एएस 15 कर्मचारी लाभ के तहत प्रकटन
नोट 2.17 एएस 20 प्रतिशेयर आय के अधीन प्रकटन
नोट 2.18 सामान्य प्रकटन

31 मार्च, 2012 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

क्र. सं.	ब्योरा	नोट सं.	31 मार्च 2012 के अनुसार	31 मार्च 2011 के अनुसार
क)	**साम्यपूंजी व देयताएं**			
1	**शेयर धारक विधियां**			
	क) शेयर पूंजी	2.1	1,91,80,10,000	1,61,80,10,000
	ख) आरक्षित व अधिशेष	2.2	31,30,08,635	27,58,26,539
	ग) शेयर वारंटों से मिली रकम		0	0
			2,23,10,18,635	**1,89,38,36,539**
2	**आवंटन लंबित शेयर आवदेन धनराशि**		**0**	**5,00,00,000**
3	**भावी देयताएं**		0	0
	क) दीर्घकालिक उधार		0	0
	ख) विलंबित कर देयताएं (बिल)		0	0
	ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	2.3	80,68,706	51,82,266
	घ) दीर्घकालिक प्रावधान		**80,68,706**	**51,82,266**
4	**चालू देयताएं**			
	क) अल्पकालिक उधार		0	0
	ख) व्यापार संदेय		0	0
	ग) अन्य चालू देयताएं	2.4	3,22,38,255	5,93,70,022
	घ) अल्पकालिक प्रावधान	2.5	37,03,442	0
			3,59,41,697	**5,93,70,022**
	कुल		**2,27,50,29,038**	**2,00,83,88,827**
ख)	**परिसंपत्तियाँ**			
1	**गैर मौजूदा स्थाई परिसंपत्तियाँ**			
	क) परिसंपत्तियाँ			
	I) सुनिश्चित परिसंपत्तियाँ	2.6	25,63,807	30,89,832
	II) सुनिश्चित परिसंपत्तियाँ		0	0
	III) कार्य प्रगति पर है पूंजी		0	0
	IV) विकासधीन अतिनिश्चित परिसंपत्तियाँ		0	0
	V) व्रिकय हेतु		0	0
			25,63,807	**30,89,832**
	ख) विलंबित कर परिसंपत्तिया (निवल)		—	—
	ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम		**1,63,18,24,458**	**1,39,54,61,440**
	घ) अन्य परिसंपत्तियाँ		0	0
			1,63,18,24,458	**1,39,54,61,440**
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	क) चालू निवेश		0	0
	ख) माल सूची		0	0
	ग) व्यापार से प्रप्तियां	2.8	2,05,77,727	1,75,39,571
	घ) रोकड़ और रोकड़ तुल्य	2.9	59,98,86,338	58,06,22,243
	ङ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	2.10	26,10,867	33,39,634
	च) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	2.11	1,75,65,840	83,36,107
			64,06,40,773	**60,98,37,555**
			2,27,50,29,038	**2,00,83,88,827**
	विशेष लेखाकरण नीतियाँ	1		
	लेखाओं पर टिप्पण वित्तीय विवरणों का अंग है	2		

समसंख्यक तिथि की हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
मै. विरमानी रॉय और कुट्टी
चार्टेड अकॉउंटेंट्स की ओर से एवं उनके निमित
ह0
अरूण एस. कुट्टी
साझेदार
एम.नं. 84560
एफआरएनः 010514एन

दिनांकः 10.09.2012
स्थानः नई दिल्ली

ह0
जी.एस. पंवार
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त
ह0
(हर्ष भाल)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

ह0
(अरूण कुमार गोयल)
निदेशक

ह0
आर.के मिश्र
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय व्यय लेखा

क्र. सं.	ब्योरा	नोट सं.	31 मार्च 2012 का समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 का समाप्त वर्ष के लिए
क)	**क्रमागत प्रचालन**			
1	प्रचालन से राजस्व (सकल)	2.12	3,43,73,348	3,16,20,793
2	अन्य आय			
	क) ब्याज से आय	2.13	4,88,22,207	1,26,58,540
	ख) अन्य अप्रचालनीय आय	2.13	75,358	64,508
3	**कुल राजस्व (1+2)**		8,32,70,913	4,43,43,841
4	व्यय			
	क) कर्मचारी लाभार्थ व्यय	2.14	2,47,34,507	1,83,63,226
	ख) मूल्य ह्रास और परिशोध व्यय	2.6a	7,48,265	9,79,423
	ग) अन्य व्यय	2.15	1,57,92,175	85,08,033
	कुल व्यय		4,12,74,947	2,78,50,682
5	अपवादिक और असाधारण मदों व कर (3–4) से पूर्व अधिशेष / (घाटा)		4,19,95,966	1,64,93,159
6	अपवादिक और असाधारण			
6.1	जमा / (घटा) पूर्वाविधि आय / व्यय बिल	2.15a	(54,94,394)	(11,48,173)
6.2	पूर्व वर्ष के अधिक 5 विधान का पुररासन		6,80,524	1,84,310
7	अपवादिक और असाधारण मदों व कर (5–6.1+6.2) के पश्चात् अधिशेष / (घाटा)		3,71,82,096	1,55,29,296
8	कर (7+8) से पूर्व अधिशेष (घाटा)		3,71,82,096	1,55,29,296
9	कर व्यय			
	क) चालू वर्ष के लिए चालू कर व्यय		0	0
	ख) घटाएं ऋण (जहां लागू है)		0	0
	ग) पूर्व वर्षो से संबंधित चालू कर व्यय		0	0
	घ) निवल चालू कर व्यय		0	0
	ड) पूर्ण विलंबित कर		0	0
			0	0
10	क्रमागत प्रचालनों (8+9) अधिशेष (घाटा)		**3,71,82,096**	**1,55,29,296**
ख)	समाप्त प्रचालन			
11.1	कर पूर्व समाप्त प्रचालनें से अधिशेष (घाटा)		0	0
11.2	समाप्त प्रचालनों के कारण परिसंपत्तियों का विक्रय देयताओं का निपटान पर लाभ (घाटा)		0	0
11.3	जमा / घटाएं समाप्त प्रचालनों का कर व्यय		0	0
	क) समाप्त प्रचालनों के कारण सामान्य गतिविधियां पर		0	0
	ख) परिसंपत्तियों विक्रय / देयताओं के निपटान पर लाभ		0	0
12	**समाप्त प्रचालनों(11.1+11.2+11.3) से अधिशेष (घाटा) कुल प्रचालन**			
13	**वर्ष (10+12) के लिए अधिशेष (घाटा)**		**3,71,82,096**	**1,55,29,296**
14	**(प्रति1000 रू0 के) प्रत्येक शेयर से आय**	2.17		
	1) मूल			
	क) क्रमागत प्रचालन		21.33	11.47
	ख) कुल प्रचालन		21.33	11.47
	2) ह्रासित			
	क) क्रमागत प्रचालन		20.74	11.06
	ख) कुल प्रचालन		20.74	11.06
विशेष लेखाकार प्रतियां		1		
वित्तीय विवरणों में शामिल लेखाओं के साथ संलग्न टिप्पण		2		

समसंख्यक तिथि की हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
मै. विरमानी रॉय और कुट्टी
चार्टेड अकॉउंटेंट्स की ओर से एवं उनके निमित
ह0
अरूण एस. कुट्टी
साझेदार
एम.नं. 84560
एफआरएनः 010514एन

दिनांकः 10.09.2012
स्थानः नई दिल्ली

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह0
(हर्ष भाल)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

ह0
(अरूण कुमार गोयल)
निदेशक

ह0
जी.एस. पंवार
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

ह0
आर.के मिश्र
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

ब्योरा	31 मार्च 2012 का समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2012 का समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदों और कर से पूर्व निवल अधिशेष (घाटा)		3,71,82,096		1,56,29,296
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
मूल्य ह्रास और परिशोधन		7,48,265		9,79,423
स्थिर परिसंपत्तियों की परिसमाप्ति और अनिश्चित रकमों के लिए प्रावधान		0		0
शेयर निर्गम व्यय का परिशोधन शेयरों पर छूट		0		0
(लाभ)/विक्री पर घाटा/परिसंपत्तियों का पुनरांकन		52,226	52,895	(178)
कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना पर व्यय		0		0
संदिग्ध व्यापार और अन्य प्राप्तियों/ऋणों व अग्रिमों के लिए प्रावधान		37,52,404		9,79,432
कार्यशील पूंजीगत बदलाओं से पूर्व प्रचालनीय अधिशेष/घाटा		**4,17,34,991**		**1,74,87,973**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
प्रचालनीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी का समायोजन				
माल सूची				
व्यापार प्राप्तियां	(30,38,156)		(31,55,445)	
अल्पकालिक ऋण व अग्रिम	7,28,767		(5,06,730)	
दीर्घकालिक ऋण व अग्रिम	(24,01,15,422)		(3,22,96,512)	
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	(92,29,733)		(63,89,729)	
अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियाँ		(25,16,54,545)		(4,23,48,416)
प्रचालनीय देयताओं में वृद्धि/(कमी) हेतु समायोजन				
व्यापार देय				
अन्य चालू देयताएं	(2,71,31,767)		3,28,66,824	
अन्य दीर्घकालिक देयताएं	0		0	
अल्पकालिक प्रावधान	37,03,442			
दीर्घकालिक प्रावधान	28,86,440		12,73,073	
		(2,05,41,885)		3,41,39,897
असाधारण मदों से नकदी प्रवाह		(27,21,96,430)		(82,08,519)
प्रचालनों से प्राप्त नकदी		(23,04,61,438)		92,79,454
निवल आय कर (प्रदत/वापसी)		0		0
प्रयुक्त/प्रचालक गतिविधियों का निवल नकदी प्रवाह (क)		**(23,04,61,438)**		**92,79,454**
ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
पूंजीगत अग्रिमों सहित स्थाई परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	(3,27,361)		(71,128)	
स्थाई परिसंपत्तियों के विक्रय से आय	(52,895)		(10,393)	
अंतः निगम जमा (निवल)				
–स्थापन				
–परिपक्व				
चालू निवेश जिन्हे रोकड़ व रोकड़ तुल्य नही माना गया				
असाधारण मदों से नकदी प्रवाह		(2,74,466)		(60,735)
निवल आयकर (प्रदत्त)/वापसी		0		0
(प्रयुक्त) निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(2,74,466)**		**(60,735)**

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

ब्योरा	31 मार्च 2012 का समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2012 का समाप्त वर्ष के लिए	
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह तथा नकदी समकक्ष व नकदी का मिलान				
साम्य पूंजीगत शेयरों से आय	25,00,00,000		50,00,00,000	
अधिमानी शेयरों के निर्गम से आय				
अधिमानी/साम्य पूंजीगत शेयरों का उन्मोचन/पुनःक्रम				
शेयर वारंटों के निर्गम से आय आवेदन राशि/(वापसी)				
दीर्घकालिक उधारों से आय				
दीर्घकालिक उधारो की अदायगी				
कार्यशील पूंजी उधारों में निवल वृद्धि/(कमी)				
अन्य अल्पकालिक उधारों से आय				
अन्य अल्पकालिक उधारों से अदायगी				
वित्त लागत				
प्रदत्त लाभांश				
लाभांश पर कर				
असाधारण मदों से नकदी प्रवाह		25,00,00,000		50,00,00,000
वित्तीय गतिविधियों (ग) से निकल नकदी प्रवाह (इस्तेमाल)		**25,00,00,000**		**50,00,00,000**
नकदी व नकदी समतुल्यों (क+ख+ग) में निवल वृद्धि/(कमी)		**1,92,64,095**		**50,92,18,719**
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समतुल्य		58,06,22,243		7,14,03,524
विदेशी मुद्रा नकदी व नकदी समतुल्यों पर विनिमय अंतर का प्रभाव				
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य		59,98,86,338		58,06,22,243
इसमें शामिल है।				
(क) नकद		1,02,601		64,434
(ख) चैक, ड्राफ्ट		0		0
(ग) बैंक के पास शेष				
(1) बचत खातों में		82,83,737		13,85,57,809
(2) जमा खातों में		59,15,00,000		44,20,00,000
		59,58,86,338		58,,06,22,243

टिप्पणी:–

(1) नकदी प्रवाह विवरण में क्रमागत व बद्धोगत प्रचालनों से संबंधित मिश्रित नकदी प्रवाह परिचालित है।

(2) बैंको के पास ये निर्धारित लेखा शेष केवल विशिष्ट प्रयोजको के लिये प्रयुक्त किए जा सकते है।

देखें टिप्पण जो वित्तीय विवरणों के अंग हैं।

समसंख्यक तिथि की हमारी संलग्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
मै. विरमानी रॉय और कुट्टी
चार्टेड अकॉउंटेंट्स की ओर से एवं उनके निमित
ह0
अरूण एस. कुट्टी
साझेदार
एम.नं. 84560
एफआरएनः 010514एन

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके निमित्त

ह0
(हर्ष भाल)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

ह0
(अरूण कुमार गोयल)
निदेशक

दिनांकः 10.09.2012
स्थानः नई दिल्ली

ह0
जी.एस. पंवार
मुख्य प्रबंधक (वित्त)

ह0
आर.के मिश्र
कंपनी सचिव

नोट संख्या 1

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अंग बनी निगम सूचना और विशेष लेखाकरण नीतियां।

1.1 निगम सूचनाः–

नेशनल हैन्डीकेप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन (एनएचएफडीसी) कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 25 के अधीन देश भर में विकलांगों के लाभार्थ एक शीर्ष निगम के तौर पर 24 जनवरी 1997 को निगमित हुआ था। निगम के प्रकार्यो का उद्धेश्य विकलांगों के उनके आर्थिक सशक्तिकरण से अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने व समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में मदद करना है।

निगम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में एवं शीर्षस्थ निगम है।

पूंजी

निगम की प्राधिकृत पूंजी 400 करोड़ रूपये है जो 40,00,000 साम्य पूंजी शेयरों में 1000रूपये प्रति शेयर से विभाजित है।

निगम की 31.3.2012 को निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त शेयर पूंजी एक 1,91,80,10,000 रू0 थी जो पूर्ण प्रदत्त रूप में प्रति 1,000 रूपये के 1,91,80,10 साम्यपूंजी शेयरों में बंटी हुई। सम्पूर्ण शेयर पूंजी भारत सरकार के स्वामित्व में है।

प्रबंधन

कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत है, दिन–प्रतिदिन के प्रचालन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा किये जाते है और यह कार्य निगम के कर्मचारियों की सहायता से किया जाता है।

प्रचालन

एनएचएफडीसी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एससीएज की मार्फत विकलांगों को निधि पहुंचाने की शीर्षस्थ संस्था है। निगम ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ करार किया है जो ऋण प्रतिभूति योजना के अंतर्गत विकलांगों के लाभार्थ निगम की निधियाँ पहुंचाने वाली अतिरिक्त एजेंसियों का काम करते है।

उद्देश्य

निगम के मुख्य उद्देश्य संस्थापन प्रलेख में वर्णित किये गये है तथापि निगम के उद्देश्यों को सार रूप में नीचे दिया गया हैः

क) विकलांगो के लाभार्थ आर्थिक विकास गतिविधियों व स्वरोजगार प्रयासों को बढ़ावा देना।
ख) स्वरोजगार उद्यमों के समुचित तथा दक्ष प्रबंधन हेतु विकलांगो को उनकी उद्यमिता कार्यकुशलता उन्नयन के लिए अनुदान देना
ग) व्यावसायिक पुनर्वासन/स्वरोजगार के वास्ते व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए विकलांगो को ऋण प्रदान करना
घ) स्वरोजगारी विकलांग व्यक्ति को उनके उत्पाद के विक्रय में मदद करना

एनएचएफडीसी की योजनाएं

निगम विकलांगों को आय अर्जक गतिविधियों में निम्नलिखित सहायता देता हैः–

क) सेवा/व्यापार क्षेत्र में लघु कारोबार स्थापित करने के लिएः विक्रय/व्यापारिक गतिविधि हेतु 3.0 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र गतिविधि के लिए 5.0 लाख रूपये।
ख) कृषि/सहायक गतिविधियों के लिए 10 लाख रूपये तक ऋण
ग) वाणिज्यिक भाड़े के लिए वाहन खरीद–10 लाख रूपये तक ऋण
घ) मंदबुद्धि, सेरेबेल पॉल्सी और ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों में स्वरोजगार के लिएः 10 लाख रूपये तक ऋण
ङ) लघु उद्योग इकाई की स्थापना : 25 लाख रूपये तक ऋण

च) युवा व्यवसायियों (डाक्टरों, इंजीनियरो, एडवोकेटो, फार्मासिस्टों, आर्किटेक्टों) के लिए ऋण–25 लाख रूपये तक ऋण
छ) सहायक सामग्री और उपकरणों की खरीद (विकलांगों के नियोजन) स्वरोजगार बढ़ाने के लिए)–5.0 लाख रूपये तक ऋण
ज) तकनीकी शिक्षा / प्रशिक्षण–भारत में अध्ययन हेतु 7.5 लाख रूपये और विदेश में अध्ययन हेतु 15.0 लाख रूपये
झ) सूक्ष्म ऋण योजना–प्रति लाभार्थी 25,000 / –रूपये का ऋण
ञ) मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए अभिभावक संघ योजना–5.0 लाख रूपये तक ऋण
ट) कार्यकौशल व उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

निगम सतत् आधार पर अपने प्रचालनों और प्रक्रियाओं में सुधार में विश्वास करता है। निगम ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है और इसे बीआईएस द्वारा आईएस / आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणन के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है।

1.2 लेखाकरण का आधार

निगम अपने वित्तीय लेखे वाणिज्यिक लेखाकरण पद्धति के आधार पर तैयार करता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

1.3 स्थाई परिसंपत्तियों का मूल्यांकन

स्थाई परिसंपत्तियों का हिसाब किताब उनकी पूर्ववर्ती लागत के आधार पर किया जाता है।

1.4 स्थाई परिसंपत्तियों का ह्रास

क) विभिन्न स्थाई परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XiV में विहित संगत दरों पर विक्रय क्रम की तिथि संदर्भ में यथानुपात आधार पर ह्रासित मूल्य विधि के अंतर्गत की गई है
ख) प्रतिमद 5000रूपये से कम लागत वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास 100% की दर पर किया जाता है।

1.5 आय

ऋणों और निवेशों पर ब्याज का हिसाब–किताब लागू दर पर प्रोदभूत आधार पर किया जाता है सिवाय दौजिक ब्याज के जिसका हिसाब–किताब प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

1.6 कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ

(1) परिभाषित लाभ योजनाएंः–

क) उपदान और छुट्टी लाभः

उपदान संदाय के कंपनी की सभी कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित परिभाषित लाभ योजना चल रही है। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि की सेवा पूरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन (अंतिम आहरित वेतन) मिलता है। दायित्व का वर्तमान मूल्य एलआईसी द्वारा प्रमाणित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाता है।

ख) चालू वर्ष (2011–2012) के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन एलआईसी ऑफ ईडिया (एलआईसी) द्वारा किया गया है। तथा तदनुसार उपदान और छुट्टी नकदीकरण की देनदारी लेखाबद्ध की गई है।

2) परिभाषित अंशदान योजनाएं

निगम कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबंध, 1952 के अंतर्गत 12% की दर से परिभाषित कर्मचारी भविष्य निधि का अंशदान करता है। जिसका हिसाब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, फरीदाबाद (हरियाणा) रखता है तथा इसे आय–व्यय खाते पर प्रभारित किया जाता है।

1.7 रोजगारोत्तर लाभ

क) अधिवर्षिता संबंधी लाभ

लोक उद्यम विभाग और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा स्वीकृत और 1–1–2007 से लागू केन्द्रीय सरकार के लोक उपक्रम के वास्ते दूसरे वेतन संशोधन के अनुसार वेतन (मूल वेतन और आईडीए) का निगम को कर्मचारियों के 30% हिस्सा अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सीय लाभों में लगाना होता है।

ख) कार्यनिष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी)

प्रशासनिक मंत्रालय (एमओएसजे एण्ड ई) के का०ज्ञा० सं० 2–11/2009– डीडी IV दिनाँक 30–4–2009 द्वारा निदेशों के मुताबिक परिश्रामिक समिति का गठन अपेक्षित था। जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि शामिल करने थे। तदनुसार, यह समिति गठित हो चुकी है और पारिश्रामिक समिति वित्तीय वर्ष 2011–2012 तक देय वेतन अंतर (कार्य निष्पादन संबद्ध वेतनः पीआरपी) और डीपीई द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर कर्मचारियों में वितरण की नीति तय करेगी। यह जब तय होगा भुगतान कर दिया जाएगा।

1.8 अशोध्य व संदिग्ध के लिए प्रावधान–

निगम ने बोर्ड की 29–8–2008 को हुई 53वीं बैठक में अशोध्य में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तथा अनिष्पादित ऋणों की पहचान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की नीति तैयार की है। उक्त नीति वित्तीय वर्ष 2008–09 से लागू है, वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के मद्देनजर निगम की नीति की बोर्ड की 25 जून, 2012 को हुई 69 वीं बैठक में समीक्षा की गई। बार्ड के निर्णयानुसार, अशोध्य व संदिग्ध गहणों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैः–

क) जिस तिथि को तुलनपत्र तैयार किया जाता है तब तक के संदिग्ध व अशोध्य ऋण जो पांच साल से ज्यादा समय से बकाया है तथा जिनकी सरकारी प्रतिभुति / आदेश आश्वासन आदि तुलन पत्र तैयार करने की तिथि तक उपलब्ध नहीं है उनके लिए प्रावधान किया जाएगा।

ख) गैर सरकारी संगठनों (एनजी ओडन) के मामले में अशोध्य व संदिग्ध ऋणों का प्रावधान किया जाता है अगर उस सीमा तक तुलन पत्र तैयार होने की तिथि को तीन साल से ज्यादा धनराशि बकाया है जब निगम की नीति में विहित प्रतिभूति की तुलना में बकाया धनराशि की प्रतिभूति न हो। इस प्रयोजना की, एनजीओं द्वारा प्रतिभूति का मूल्य ऋण राशि का 25% होगा जहां सावधि जमा प्रतिभुति के तौर पर दी गई है और/अथवा ऋण राशि का 40% जहां अनुषंगिक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किया गया हो अथवा जैसी भी स्थिति हो, प्रावधान किया जाएगा।

ग) ऋण का 100% (उपर्युक्त अतिलिखित अवधि का बकाया मूलधन/ब्याज) तथा उपर्युक्त के अनुसार सुरक्षित नहीं है का प्रावधान किया जाएगा।

1.9 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानक 3 की परोक्ष विधि के आधार पर तैयार किया गया है और तुलन पत्र के साथ संलग्न है।

1.10 सरकार से प्राप्त राजस्व अनुदान

क) निगम को लक्षित समूह के विकास के लिए वर्ष के दौरान शुरू किये गए छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रमो के वास्ते मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुआ है। यह अनुदान तुलनपत्र में दर्शाया गया है। इससे संबंधित व्यय को उसी शीर्ष में लेखाबद्ध किया गया है।

ख) अव्ययित अनुदान तथा ब्याज की गणना करते हुए चालू देयताओं में लिया गया है।

1.11 पट्टे पर ली गई स्टॉलों का परिशोधन (प्रचालनीय पट्टा)–

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निगम को अपने लाभार्थियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए दिल्ली हाट, पीतमपुरा, में तीन स्टॉल आवंटित किए थे जो निगम को किराए पट्टे के आधार पर दी गई थी, स्थलों की लागत 34,37,500 रूपये थी पट्टे की अवधि 17 जून 2003 तक है अर्थात, 12 वर्ष 8 माह और 7 दिन दुकाने लेने की तारीख 01–10–210 है जिसका वित्तीय वर्ष 2010–11 से पट्टे अवधि के अनुसार 12 वर्ष 6 माह के लिए परिशोधन किया जाएगा, लगातार 11 वित्तीय वर्षो और जब तक अग्रिम पूरी तरह समायोजित नहीं हो जाता 2,70,492 / – रूपये की राशि आय–व्यय खाते पर प्रमाणित रहेगी।

1.12 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का आंकलन उस अवधि के निकल अधिशेष (घाटा) को वर्ष के दौरान बकाया साम्यपूंजीगत शेयरों की भावी औसत संख्या शेयर धारकों की साम्यपूंजी से विभाजित करके किया जाता है। प्रतिशेयर आय का आंकलन करने के लिए, सभी ह्रासित संभावित साम्यपूंजीगत शेयरों के वास्ते साम्य पूंजी शेयरधारकों को आरोध्य वर्ष के लिए निवल अधिशेष (घाटा) और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की आशंकित औसत संख्या के समायोजित किया जाता है।

1.13 प्रावधान

कंपनी ऐसे प्रावधान को स्वीकार करती है जब विगत की घटना के कारण वर्तमान दायित्व बनता है और अक्सर ऐसा संभव होता है कि ऐसे दायित्वों की निपटारा करने हेतु आर्थिक लाभों युक्त संसाधनों का बहिर्गमन होगा और ऐसे दायित्वों का विश्वसनीय अनुदान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को घटाकर उनकी वर्तमान कीमत नहीं लगाई जाती और वे तुलन पत्र तैयार करने की तिथि को दायित्व का निपटारा करने के लिए अपेक्षित बहिर्गमन के बारे में प्रबंधकों के अनुमान के आधार पर तय होते हैं। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलनापत्र तैयार करने की तिथि को की जाती है और इसे चालू प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

1.14 आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं का प्रकटन उस संभावित दायित्व के मामले में किया जाता है जो विगत की घटनाओं से उद्भूत हुई हैं और जिसका वजूद उन भावी घटनाओं के होने न होने से पुष्ट होगा जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक देयताएं उन वर्तमान देयताओं के लिए भी प्रकट की जाती है। जिनके लिए संसाधनों का बहिर्गमन संभव नहीं है या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब ऐसे दायित्व के मामले में जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना बहुत ही कम होती है, कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

1.15 पूर्वावधि समायोजन

पूर्व वर्षों से संबंधित ब्यय / आय पूर्वावधि समायोजन लेखे पर प्रमाणित की गई हैं।

नोट संख्या 2

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.1 साम्य पूंजी–

ब्योरा	31 मार्च 2012 को		31 मार्च 2011 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (रूपये में)	शेयरों की संख्या	राशि (रूपये में)
क) प्राधिकृत साम्य पूंजीगत शेयर 1,000.00 प्रति मूल्य 4,000,000 साम्य पूंजी शेयर	40,00,000	4,00,00,00,000	40,00,000	4,00,00,00,000
ख) निर्गमित साम्य पूंजीगत शेयर रूपये 1000.00प्रति मूल्य पूर्णतः प्रदत्त 19,18,010 साम्य पूंजी शेयर गत वर्ष निर्गमित (16,18,010)	19,18,010	1,91,80,10,000	16,18,010	1,61,80,10,000
ग) अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त साम्य पूंजीगत शेयर रूपये 1,000.00 प्रति मूल्य पूर्णतयाः प्रदत्त 19,18,010 साम्य पूंजी शेयर	19,18,010	1,91,80,10,000	16,18,010	1,61,80,10,000
कुल	**19,18,010**	**1,91,80,10,000**	**16,18,010**	**1,61,80,10,000**

प्रति 1000 रूपये के 19,18,010 कुल साम्यपूंजी शेयरों में से, प्रति 100/रूपये के 19,18,009 साम्य पूंजी शेयर अपर सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम जारी किए गये हैं और 100/– रूपये के साम्यपूंजी शेयर संयुक्त सचिव, डीडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नाम जारी किया गया है।

2011–12 के वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने पत्र सं० एफ नं० 1–8/2001– डीडी IV दिनांक 15/21.09.2011 द्वारा स्वीकृत 25.00 करोड़ रूपये की शेयर आवेदन राशि पर निगम की साम्य शेयर पूंजी में 25.00 करोड़ रूपये की साम्य पूंजी शेयर आवंटित किए (प्रति 1000/–रूपये के पूर्ण प्रदत्त 2,50,000 के साम्यपूंजीगत शेयर) उक्त धनराशि 1 अक्टूबर, 2011 को निगम के बैंक खाते में प्राप्त हुई/जमा की गई (स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सेक्टर–9, फरीदाबाद) उपरोक्त शेयर अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित किए गये।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक मंत्रालय के पत्र सं० एफ नं० 1–8/2007 डीडी–IV दिनांक 24–03–2011 द्वारा 5.00 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गये थे जिसपर प्रति 1000/–रूपये (पूर्णतःप्रदत्त) के 50,000 साम्यपूंजीगत शेयर 21–4–2011 को आवंटित किए जो उपरोक्त अधिकारी और मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित किए गए थे। उपरोक्त धनराशि 28 मार्च, 2011 के उपरोक्त बैंक खाते में प्राप्त हुई। जमा की गई यह 2010–11 के वित्तीय वर्ष के खातों में शेयर आवेदन धनराशि (जब तक आवंटन न हो जाए) के अंतर्गत परिलक्षित है।

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.1 क साम्य पूंजी–मिलान

(राशि रूपये में)

1) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ ओर अंत में बकाया शेयरों की सं० और धनराशि का मिलान			
ब्योरा	**आरंभिक शेष**	**नवीन निर्गम**	**अंतः शेष**
मताधिकार सहित साम्यपूंजीगत शेयर 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष			
शेयरो की संख्या	16,18,010	3,00,000	19,18,010
धनराशि (रूपये)	1,61,80,10,000	30,00,00,000	1,91,80,10,000
31मार्च,2011 को समाप्त वर्ष			
शेयरों की संख्या	11,68,010	4,50,000	16,18,010
धनराशि (रूपये)	1,16,80,10,000	45,00,00,000	1,61,80,10,000

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.2 आरक्षित तथा अधिशेष

(राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार
क) सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष	27,58,26,539	26,02,97,243
जोडः अधिशेष से अंतरित	3,71,82,096	1,55,29,296
अंत शेष	31,30,08,635	27,58,26,539
ख) अधिशेष	0	0
आरंभिक शेष	3,71,82,096	1,55,29,296
जोड़ेः आय–व्यय लेखे के विवरण से अंतरित कर के बाद व्यय पर आय की निवल अधिकता	3,71,82,096	1,55,29,296
विनियोग हेतु उपलब्ध धनराशि आरक्षित निधि को अंतरित धनराशि	0 3,71,82,096	0 1,55,29,296
अधिशेष–अंत शेष	0	0

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25(3) की दृष्टि से निगम लाभांश घोषित नहीं करता और अधिशेष का अपने उद्धेश्यों की खातिर पुनःनिगम में लगा देता है इसलिए 37182,096 रूपये की राशि वर्ष के अधिशेष सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.3 दीर्घकालिक प्रावधान (राशि रूपये में)

ब्योरा	31मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान		
i) उपदान हेतु प्रावधान (निवल) देखे नो 2.16)	0	29,71,106
ii) सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभों का प्रावधान (पेंशन व चिकित्सा लाभ)	49,69,945	0
iii) अन्य परिभाषित लाभ योजनाओं (निवल) (छुट्टी नकदीकरण) के लिए प्रावधान	30,98,761	22,11,160
कुल	80,68,706	51,82,266

31–3–2011 को उपदान का संचित प्रावधान 31,20,044रूपये था। तथापि, 1–7–11 को भारतीय जीवन बीमा निगम के मार्फत किया गया बीमांकिक मूल्यांकन अनुसार, 31,82,593 रूपये 27,303 रूपये भी प्रीमियम की उपदान योजना की किस्त थी। तदनुसार 62,549 रूपये की राशि समूह उपदान न्यास योजना कें अंतर्गत अदा की गई जिसमें 27,303 रूपये उपदान योजना की किस्त है। तदनुसार, 62,549 रूपये की राशि (31,20,044 रूपये का अंतर जो 1–4–11 को अदा किया गया तथा 31,549 रूपये का अंतर जो 1–7–11 को अदा किया गया) वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए उपदान के प्रावधान हेतु प्रदान की गई साथ ही वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए उपदान के प्रावधान हेतु प्रदान की गई साथ ही वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान एनएनएफडीसी समूह उपदान न्यास निधि के अधीन उपदान के सिलसिलें में 5,42,134/– रूपये की राशि व्यय के तौर पर लेखाबद्ध की गई। बीमांकिक मूल्यांकन 31–3–2012 को किया गया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1,48,938/– रूपये की राशि श्री एस० बाबूराजन पूर्व स०प्र० (वित्त) के उपदान के प्रावधान के तौर रखी गई है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के मुताबिक छुट्टी नकदी करण के लिए 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार रूपये 30,98,761 का संचित प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–2012 के दौरान रूपये 7,14,388 का प्रावधान किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन की तिथि 31.3.2012 है। तथापि रूपये 46,938 की राशि छुट्टी वेतन की तौर पर प्रावधान में से लागू वित्तीय वर्ष की दौरान श्री एस. बाबू राजन, पूर्व स0प्र0 (वित्त) के लिए उपबंधित की गई है जिसका वित्तीय वर्ष 2010–2011 के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुमोदित सरकार के सरकारी उपक्रमों के दूसरे वेतन संशोधन के अनुसार एवं बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1–01–2007 को लागू – एनएनएफडीसी को अंशदायी भविष्य निधि, उपदान, पैंशन और सेवानिवृति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए अपने कर्मचारियों के मूल वेतन और आईडीए के 30% की दर पर अधिवर्षिता लाभों का प्रावधान करना था।

वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक के लिए अधिवर्षिता लाभों की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष (2011–12) के लेखाओं में निम्नानुसार की गई है:–

अधिवर्षिता लाभों के लिए प्रावधान का आंकलन

क) वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लिए (राशि रूपये में)

क्र.	ब्योरा	दर	2006–07	2007–08	2008–2009	2009–10	2010–11	कुल
1.	मूल वेतन+डी ए		6,89,421	29,50,341	48,35,160	75,77,292	89,02,512	2,49,54,726
2.	1–1–07 से वेतन संशोधन बकाया		1,92,523	7,80,339	16,14,198	2,69,960	0	28,56,020
	कुल		8,81,944	37,30,680	64,49,358	78,46,252	89,02,512	2,78,10,746
क.	1–1–07 से एनएचएफडीसी के के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता लाभ (पेंशन व चिकित्सा लाभ) मूल वेतन + डीए के 13% की दर पर	13%	1,14,653	4,84,988	8,38,417	10,20,013	11,57,327	36,15,397
	कुल (क)	**13%**	**1,14,653**	**4,84,988**	**8,38,417**	**10,20,013**	**11,57,327**	**36,15,397**

ख) वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2010–11 के लिए (राशि रूपये में)

क्र.	ब्योरा	दर	2011–12	कुल
1	मूल वेतन + डीए		1,04,19,603	1,04,19,603
	कुल		**1,04,19,603**	**1,04,19,603**
क	1–1–07 से एनएचएफडीसी के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता लाभ (पेंशन एवं चिकित्सा नियम) मूल वेतन + डीए का 13% की दर पर	13%	13,54,548	13,54,548
	कुल (क)	**13%**	**13,54,548**	**13,54,548**

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.4 अन्य चालू देयताएं

ब्योरा	31मार्च, 2012 को	31मार्च, 2011 को
अन्य देयताएं		
ईपीएफ देय	0	2,41,107
अन्य संदेय (कर्मचारी)	15,226	8,786
अन्य संदेय (पार्टिया)	54,228	12,33,438
अन्य संदेय (ईडीपी)	24,32,979	12,87,305
अन्य संदेय–वेतन पर टीडीएस	17,21,652	25,44,762
बकाया देय राशि–पूर्व सीएमडी	0	57,808
टेलीफोन खर्च	4,459	0
श्री एम रविकांत, पूर्व सीएमडी का वसूली खाता	5,269	1,00,925
अन्य संदेय–छात्रवृति योजना (राष्ट्रीय निधि)	7,809	7,809
अन्य संदेय–छात्रवृति योजना (न्यास निधि)	6,315	92,711
अग्रिम प्राप्तियां	43,661	0
दरो की राशि (श्री राकेश कुमार, पूर्व डीएम)	3,85,161	3,38,312
असंबद्ध प्राप्तियां	11,330	24,855
(भारतीय स्टेट बैंक, सेक्टर–12 और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में आरटीजीएस नकदी द्वारा प्राप्त)	19,871	5,06,774
कर्मचारी समूह उपदान योजना	5,42,134	0
अनुदान सहायता निधि		
छात्रवृत्ति योजना (राष्ट्रीय निधि)	25,71,823	5,26,06,778
छात्रवृत्ति योजना (न्यास निधि)	2,40,57,578	0
सफाई कर्मचारियों (एसआरएमएस) के पुनर्वास की योजना	3,58,761	3,18,652
कुल	**3,22,38,255**	**5,93,70,022**

निगम को सफाई कर्मचारियों (एसआरएमएस) के पुनर्वास की योजनाधीन 31–3–2012 तक 216.00 लाख रूपये की सहायता अनुदान निधि प्राप्त हुई थी। जिसमें से योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान शून्य राशि (पिछले साल 1,64,52,372 रूपये) खर्च हुई और 3,58,761/रूपये की शेष राशि (जमा पर ब्याज सहित) 31–3–2012 की स्थिति के अनुसार, न्यायित रही।

निगम को अपने प्रशासनिक मंत्रालय से 52,50,000/–रूपये की राशि प्राप्त हुई थी (जिसमें 50,00 लाख रूपये अनुमानित छात्रवृति राशि के लिए शामिल है और जो वर्ष 2009–10 के दौरान वितरित की जानी थी तथा 2.50 लाख रूपये प्रशासनिक व्यय के लिए छात्रवृति राशि का विनिर्दिष्ट 5% निगम द्वारा खर्च होना था) परिणामतः 12–08–2011 को प्रशासनिक प्रभारों सहित 81.83 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई।

जिसमें से 6,31,92,400/– रूपये की राशि की राशि (गत वर्ष 35,80,537/–रूपये) योजना के कार्यान्यनाधीन वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान खर्च हुई और शेष राशि 25,71,823/–रूपये (जमा पर ब्याज सहित) 31–03–2012 की स्थिति के अनुसार निगम के पास अव्ययित है। चूंकि छात्रवृति (न्यास निधि) के अंतर्गत अनुदान सहायता के लिए कोई अलग बैंक खाता नहीं खोला गया इसलिए, छात्रवृति वितरण पर खर्च और अन्य खर्च उस समय तक छात्रवृति के लिए सामान्य बैंक खाते से किए गए जब तक कि न्यास निधि छात्रवृति के लिए तथा खाता नहीं खोला गया।

योजनानुसार, निगम को पात्र विकलांग व्यक्तियों (न्यास निधि) को छात्रवृति प्रदान करने के लिए 24–01–2011 को अपने प्रशासनिक मंत्रालय से गत वितीय वर्ष 2010–11 के दौरान 510 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई (छात्रवृति के लिए 5 करोड़ रूपये और योजना चलाने के लिए प्रशासनिक व्यय के लिए कुल निधि का 2% आदि 10लाख रूपये) और समूची राशि को राष्ट्रीय छात्रवृति निधि के बचत बैंक खाते में रखा गया जिसमें से योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान (न्यास निधि के लिए) खोले गए नए खाते से 2,25,751/– रूपये की राशि (गत वर्ष शून्य) खर्च हुई और 2,40,57,578/रूपये (जमा पर ब्याज सहित) की शेष राशि 31–3–2012 को निगम के पास व्ययित है।

कार्य कौशल व उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए विभिन्न परामर्शदाताओं के देय 17,21,652/–रूपये की राशि लेखबद्ध है हालांकि संपरीक्षित विवरणों/ उपयोग प्रमाण पत्र आदि प्राप्त न होने की स्थिति में वह भुगतान नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि कार्यक्रम 31.03.2012 तक पूरे हुए थे।

असंबद्ध प्राप्तियां–

अन्य देयताओं में भारतीय स्टेट बैंक, मिनी सेक्रेटेरिएट शाखा, सेक्टर–12 फरीदाबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सेक्टर–09, फरीदाबाद में चल रहे बचत खाते में आरटीजीएस नकद द्वारा प्राप्त अंत शेष राशि (निवल) के मुकाबले 19,871/– रूपये की असंबद्ध प्राप्तियां शामिल हैं। इन प्राप्तयों का स्त्रोत का अभी तक पता नहीं चला हैं और इन प्राप्तियों के स्त्रोत का पता चलने के बाद लेखाओं में अनिवार्य लेखांकन शोधन कर दिया जाएगा।

असंबद्ध प्राप्तियों का ब्योरा निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	ब्योरा	राशि (रूपये में)
क	आरंभिक शेष (1–04–2011 की स्थिति के अनुसार)	5,06,774
ख	वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पता चली राशि	3,29,891
ग	कुल (क–ख)	1,76,883
घ	वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान अतिरिक्त असंबद्ध प्राप्तियां	34,837
ड़	निवल (ग+घ)	2,11,720
च	सावधि जमा रसीदों पर ब्याज	1,91,848.89
छ	कुल असंबद्ध प्राप्ति (ड+च)	19,871.11
		पूर्णांकित रूपये 19,871/–

उपरोक्त तालिका के अनुसा, 1,91,849/–रूपये की राशि बैंक द्वारा सावधि जमा रसीदों पर ब्याज दर्शाई गई है जिसकी पुष्टि अभी बैंक को करनी है और तदनुसार इसका प्रभाव हमारे लेखाओं में दिखाया जाएगा।

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.5 अल्पकालिक प्रावधान **(राशि रूपये में)**

ब्योरा	31 मार्च, 2012 को	31मार्च 2011 को
क) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान 1) अन्य कर्मचारी लाभों (पीआरपी) के लिए प्रावधान	37,03,442	0
कुल	**37,03,442**	**0**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के प्रावधानों के मद्देनजर आय कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगम आयकर अधिनियम के धारा 12एए की तहत पंजीकरण करा चुका है। निगम ने इस अधिनियम की धारा 10 (23) (ग) (iv) के अंतर्गत छूट देने के लिए आवेदन भी दायर किया है जो अभी भी विभाग के विचाराधीन है।

प्रशासनिक मंत्रालय के का०ज्ञा० सं० 2–11 /2009 डी डी IV दिनांक 30–4–2009 द्वारा दिय गये निदेशों के अनुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के एकीकृत वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि समेत पारिश्रमिक समिति गठित की जानी थी। तदनुसार, 15–5–2009 को हुई बोर्ड की 56वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति के गठन का मामला उठाया गया। परिश्रमिक समिति वित्तीय वर्ष 2011–12 तक देय वेतन (पीआरपी) और डीपीई, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर कर्मचारियों में इसके वितरण की नीति का फेसला करेगी 25 जून, 2012 का हुई बोर्ड की 69वीं बैठक में परिश्रमिक समिति पुनःगठित कर दी गई।

डीपीई के दिशानिर्दिशों के अनुसरण में वर्ष के लिए 3% लाभ तथा संबंधित वर्ष के बढ़े हुए 2% लाभ को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2009–10 2010–11 और 2011–12 के लिए पीआरपी का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखापरीक्षित लेखाओं के मुताबिक, हालांकि 1,86,62,254/– रूपये का अधिशेष था लेकिन डीपीई से एमओयू के मूल्यांकन के अभाव में पीआरपी देय नहीं है। तथापि, इस संबंध में, यह लेख किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान कोई पीआरपी देय नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए निगम के लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार 2,88,50,964/–रूपये का घाटा हुआ था।

वित्तीय वर्ष 2011–12 का मूल्यांकन अभी लोक उद्यम विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए यह सोचते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्रावधान किया गया है कि एमओयू का कार्य निष्पादन "उत्तम" मूल्यांकित किया गया है। 2011–12 के लेखाओं के अनुमोदन के पश्चात डीपीई द्वारा निगम के एमओयू कार्य निष्पादन के आकलन के बाद 2011–12 वर्ष के लिए पीआरपी पर विचार करेगी वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखाओं की परीक्षा और प्रमाणन अभी शेष है। फैसला होने पर उसका भुगतान किया जाएगा।

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.6 भौतिक परिसंपत्तियाँ

(राशि रूपये में)

क	भौतिक परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक			
		1 अप्रैल 2011 का शेष	परिवर्तन	निपटान	31 मार्च 2012 का शेष
क	स्वामित्वाधीन फर्नीचर और फिक्सचर	27,85,950	1,41,459	34,059	28,93,350
ख	स्वामित्वाधीन वाहन	11,45,689	0	0	11,45,689
ग	स्वामित्वाधीन कार्यालयी उपकरण	25,08,522	46,222	3,48,410	22,06,334
घ	स्वामित्वाधीन कम्पयूटर	56,51,899	96,680	9,05,916	48,42,663
ड	एयर कंडीशनर, कूलर	7,09,636	43,000	66,292	6,86,344
	कुल	**1,28,01,696**	**3,27,361**	**13,54,677**	**1,17,74,380**
	गत वर्ष	**1,27,44,964**	**71,128**	**14,396**	**1,28,01,696**

संचित मूल्य ह्रास और हानि

(राशि रूपये में)

ख	भौतिक परिसंपत्तियां	संचित मूल्य ह्रास और हानि				निवल ब्लॉक	
		1 अप्रैल 2011 को शेष	वर्ष का मूल्य ह्रास/ परिशोधन खर्च	परिसंपत्तियों के निपटान पर खत्म	31 मार्च 2012 को शेष	31 मार्च 2012 को शेष	31 मार्च 2011 को शेष
क	स्वामित्वाधीन फर्नीचर और फिक्सचर	22,55,724	1,09,047	31,295	23,33,476	5,59,874	5,30,226
ख	स्वामित्वाधीन वाहन	7,61,864	99,372	0	8,61,236	2,84,453	3,83,825
ग	स्वामित्वाधीन कार्यालयी उपकरण	13,02,041	1,75,198	2,59,238	12,18,001	9,88,333	12,06,481
घ	स्वामित्वाधीन कम्पयूटर	49,69,136	3,16,777	9,02,287	43,83,626	4,59,037	6,82,763
ड	एयर कंडीशनर कूलर	4,23,099	47,871	56,736	4,14,234	2,72,110	2,86,537
	कुल	**97,11,864**	**7,48,265**	**12,49,556**	**92,10,573**	**25,63,807**	**30,89,832**
	गत वर्ष	**87,36,622**	**9,79,423**	**4,181**	**97,11,864**	**30,89,832**	**40,08,342**

2.6 क स्थाई परिसंपत्तियाँ अन्य विवरण

(राशि रूपये में)

ग	अविराम परिचालनों से संबंधित मूल्य ह्रास और परिशोधन		
	ब्योरा	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
	नोटः 2.6 के अनुसार भौतिक परिसंपत्तियों पर वर्ष के लिए मूल्य ह्रास और परिशोधन	7,48,265	9,79,423
	अविराम परिचालनों से संबधित मूल्य ह्रास और परिशोधन	7,48,265	9,79,423

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.7 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

(राशि रूपये में)

	ब्योरा	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
क	कर्मचारियों के ऋण व अग्रिम सामान्य प्रयोजन अग्रिम		
	जमानती, अच्छा समझा गया	0	0
	गैर जमानती समझा गया	39,59,925	0
	संदिग्ध समझा गया	0	0
	घटाएंः संदिग्ध ऋणो व अग्रिम हेतु, प्रावधान	0	0
	कम्प्यूटर अग्रिम	39,59,925	0
	जमानती, अच्छा समझा गया	0	0
	गैर जमानती समझा गया	34,248	46,474
	संदिग्ध समझा गया	0	0
	घटाएः संदिग्ध ऋण व अग्रिम के लिए प्रावधान	0	0
ख	(एससीए/ एनजीओ) का ऋण और अग्रिम	34,284	46,474
	जमानती, अच्छा समझा गया	1,28,39,06,247	1,12,88,83,987
	गैर जमानती समझा गया	33,23,71,314	25,77,79,643
	संदिग्ध समझा गया	79,17,712	48,45,832
		1,62,41,95,273	1,39,15,09,462
ग	अन्य दीर्घकालीन अग्रिम	0	0
	जमानती, अच्छा समझा गया	30,31,762	33,02,254
	गैर जमानती समझा गया		
	संदिग्ध समझा गया	0	0
		30,31,762	33,02,254
घ	अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां		
	दीर्घकालीन जमा/आक्षिम जमानत	0	0
	जमानती, अच्छा समझा गया	6,03,250	6,03,250
	गैर जमानती समझा गया		
	संदिग्ध समझा गया	0	0
		6,03,250	6,03,250
	कुल	1,63,18,24,458	1,39,54,61,440

नोटः दीर्घकालीन ऋणों और अग्रिम में निम्नलिखित द्वारा देय राशि शामिल है।

ब्योरा	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार
निदेशक	0	0
कंपनी के अन्य अधिकारी	39,94,173	46,474

*दीर्घकालीन ऋणों कंपनी के अन्य अधिकारी निम्नलिखित शामिल है।

1. सामान्य प्रयोजन अग्रिम	39,59,925	0
2. कम्प्यूटर अग्रिम	34,248	46,474
कुल	39,94,173	46,474

31/3/2012 तक आवधिक ऋण के तौर पर 310.89 करोड़ रूपये की कुल राशि (गत वर्ष 260 करोड़ रूपये) जारी की गई है तथा 5.58 करोड़ रूपये की राशि (गत वर्ष 5.58 करोड़ रूपये) सूक्ष्म ऋण वित्तपोषण योजना के अधीन जारी की गई है। 4,50,000/–रूपये की राशि मैसर्स रेड़क्रास सोसाइटी, फरीदाबाद को प्रतिभूति जमा के रूप में रेडक्रास भवन, फरीदाबाद के वास्ते दी गई है जिसे निगम पट्टे पर लिया है और ब्याज राशि प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित है।

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.8 व्यापार प्राप्तियां

(राशि रूपये में)

ब्योरा	31मार्च 2012 की स्थिति अनुसार	31मार्च 2011 की स्थिति अनुसार
भुगतान के लिए तिथि से छः माह से ज्यादा अवधि से बकाया व्यापार प्राप्तियां जमानती, अच्छा समझा गया गैर जमानती अच्छा समझा गया संदिग्ध,	1,67,91,283 8,09,736 0	1,30,35,061 2,08,586 0
	1,76,01,019	1,32,43,647
अन्य व्यापार प्राप्तियां भुगतान के लिए तिथि से छः माह से ज्यादा अवधि से बकाया व्यापार प्राप्तियां जमानती,अच्छा समझा गया गैर जमानती अच्छा समझा गया संदिग्ध,	24,41,095 3,10,394 0	35,84,354 7,11,570 0
	27,51,489	42,95,924
छात्रवृति (न्यास निधि) छात्रवृति (राष्ट्रीय निधि) सफाई कर्मचारियों (एसआरएमएस) के पुनर्वास की योजना	17,754 2,04,483 2,982	0 0 0
	2,05,77,727	**1,75,39,571**

नोटः व्यापार प्राप्तियों में निम्नलिखित द्वारा देय ऋण शामिल हैं।

ब्योरा	31मार्च 2012 की स्थिति अनुसार	31मार्च 2012 की स्थिति अनुसार
निदेशक	0	0
कंपनी के अन्य अधिकारी	0	0
कुल	0	0

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.9 नकदी और समतुलय (राशि रूपये में)

ब्योरा	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
(क) हस्तगत् नकदी	1,02,601	64,434
(ख) बैंकों के पास शेष		
(I) बचत खातों में	82,83,737	13,85,57,809
(II) जमा लेखाओं में	59,15,00,000	44,20,00,000
कुल	**59,98,86,338**	**58,06,22,243**
बैंको के पास शेष का ब्योरा		
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (फरीदाबाद)	41,51,709	5,33,80,333
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ''एनएचएफडीसी'' खाता	11,71,755	8,47,83,313
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ''एनएचएफडीसी'' एसआरएमएस खाता	3,58,588	3,06,842
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ''एनएचएफडीसी'' छात्रवृत्ति खाता (राष्ट्रीय निधि)	24,04,272	87,321
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ''एनएचएफडीसी'' छात्रवृत्ति खाता (न्यास निधि)	1,97,414	0
कुल	**82,83,737**	**13,85,57,809**
एसबीआई सै. 12 में अल्पावधि जमा	21,05,00,000	38,50,00,000
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सै. 9 में अल्पावधि जमा	35,70,00,000	50,00,000
''एनएचएफडीसी'' छात्रवृद्धि ट्रस्ट फंड का एसबीआई में अल्पावधि जमा	2,40,00,000	5,10,00,000
''एनएचएफडीसी'' छात्रवृत्ति नेशनल फंड का एसबीआई में अल्पावधि जमा	0	10,00,000
कुल	**59,15,00,000**	**44,20,00,000**

59,98,86,338/–रूपये की नकदी व बैंक शेष में भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त साम्यपूंजी के 25.00 करोड़ रूपये शामिल है जो बैंको में सावधि जमा रसीदों में रखे गए।

नकदी व बैंक शेष (59,98,86,338/–रूपये) में निम्नलिखित शामिल है:
हस्तगत नकदी (1,02,601/– रूपये)
अनुसूचित बचत खातों के पास शेष
बचत खाता : 82,83,737/–रूपये
बैंकों में सावधि जमा रसीद : 59,15,00,000/–रूपये

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.10 अल्पावधि के ऋण व अग्रिम **(राशि रूपये में)**

ब्योरा	31मार्च 2012 को	31मार्च 2011 को
(क) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित, अच्छा समझा गया	0	0
असुरक्षित अच्छा समझा गया	63,091	66,521
संदिग्ध	0	0
(ख) अन्य (पार्टियां) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
सुरक्षित, अच्छा समझा गया	0	0
असुरक्षित अच्छा समझा गया	25,47,776	32,73,113
संदिग्ध	0	0
कुल	**26,10,867**	**33,39,634**

अल्पावधि के ऋण व अग्रिम **(राशि रूपये में)**

नोट : अल्पावधि ऋणों व अग्रिमों में निम्नलिखित ब्योरा अनुसार देय राशि शामिल है।		
ब्योरा	**31 मार्च 2012 को**	**31 मार्च 2011 को**
निदेशक	0	0
कम्पनी के अन्य अधिकारी	63,091	66,521
कुल	**63,091**	**66,521**

*अल्पावधि के ऋणों में निम्नलिखित शामिल है। **(राशि रूपये में)**

ब्योरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम	0	39,291
स्टाफ को अग्रिम	52,091	27,230
एलटीसी अग्रिम	11,000	0
कुल	**63,091**	**66,521**

निदेशकों की राय में सभी चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों का वसूली पर मूल्य है जो कारोबार के दौरान उस राशि के तुल्य होगा जो तुलन पत्र में दर्शायी गई है।

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.11 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
(क) उपनय		
बचत खाते पर अदेय और ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	1,74,727	4,36,625
सावधि जमा पर अदेय और ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	1,66,26,978	72,15,751
कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम पर अदेय और रूप में प्राप्त होने वाली राशि	4,02,041	5,10,993
कर्मचारियों को गृह कम्प्यूटर अग्रिम पर अदेय रूप में प्राप्त होने वाली राशि	16,756	19,361
प्रतिभूति जमा पर अदेय और ब्याज के रूप में प्रात होने वाली राशि	86,053	68,250
सामान्य प्रयोजन अग्रिम अदेय और ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली राशि	1,19,115	0
(ख) पूर्वदत्त खर्च–गैर जमानती अच्छा समझा गया	55,540	10,095
(ग) अन्य (उदाहरण के लिए: बीमा किश्त वार्षिक अनुरक्षा ठेके आदि)		
(I) *अन्य	84,631	75,032
कुल	**1,75,65,840**	**83,36,107**

* अन्य में निम्नलिखित मदें शामिल हैं

(राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
1. कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि	15,818	6,667
2. निम्नलिखित से वसूली योग्य राशि		
क) एनबीसीएफडीसी	22,096	22,096
ख) एनएससीएफडीसी	22,096	22,096
ग) मुख्य आयुक्त (विकलांगता)	163	0
घ) अन्य	285	0
3. आयकर (टीडीएस प्राप्त)	24,173	24,173
कुल (1+2+3)	**84,631**	**75,032**

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.12 प्रचालनों से राजस्व (राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
ऋणों से प्राप्त ब्याज वाले प्रचालनों से राजस्व		
क) ऋणों पर ब्याज (एससीएज)	3,40,76,877	3,13,11,116
ख) सूक्ष्म ऋण योजना पर ब्याज (एमसीएस)	2,96,471	3,09,677
कुल	**3,43,73,348**	**3,16,20,793**

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.13 अन्य आय

(राशि रूपये में)

नोट	ब्योरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
(i)	ब्याज अन्य आय में बैंको से निम्नलिखित से प्राप्त ब्याज शामिल है।		
	जमा	4,73,11,465	65,89,685
	अन्य शेष	13,49,634	59,30,253
	सामान्य प्रयोजन अग्रिम पर ब्याज	1,19,115	0
	अन्य ब्याज	41,993	1,38,602
	कुल (क)	**4,88,22,207**	**1,26,58,540**

अन्य प्रचालनीय आय

(राशि रूपये में)

नोट	ब्योरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
(ii)	अन्य प्रचालनीय आय में स्थायी परिसम्पत्तियों पर लाभ		
	प्रर्कीण आय शामिल है	5,934	178
		69,424	64,330
	कुल (ख)	75,358	64,508
	कुल योग (क+ख)	**4,88,97,565**	**1,27,23,048**

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.14 कर्मचारी लाभ व्यय (राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को	31 मार्च 2011 को
सीएमडी		
वेतन और भत्ते	14,61,621	8,12,351
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,55,694	0
विदेश सेवा अंशदान	2,81,175	1,53,005
जलपान व्यय की प्रतिपूर्ति	18,548	3,666
समाचार व्यय की प्रतिपूर्ति	7,046	5,533
कुल	19,24,084	9,74,555
स्टाफ		
वेतन और भत्ते	1,24,76,547	1,08,67,186
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	17,34,315	14,99,248
वाहन व्यय प्रतिपूर्ति	26,744	17,540
परिवहन सहायता	10,34,511	9,68,762
समयोपरि भत्ता	34,122	12,150
बाल शिक्षा भत्ता	2,43,073	2,25,305
मानदेय	39,383	0
वाहन अनुरक्षण भत्ता	30,715	30,240
वर्दी भत्ता	12,148	11,785
व्यवसायेत्तर भत्ता	32,362	22,175
गृह अनुरक्षण भत्ता	7,787	7,428
गृह देखभाल भत्ता	1,10,839	1,02,203
स्वास्थ्य देखभाल भत्ता	15,523	15,181
नौकर भत्ता	1,38,835	1,22,372
जलपान व्यय प्रतिपूर्ति	2,49,851	2,53,484
समाचारपत्र व्यय प्रतिपूर्ति	2,05,791	1,86,929
छुट्टी वेतन	7,14,388	6,10,199
भविष्य व अन्य निधियों में अंशदान	14,46,860	12,41,612
उपदान	6,04,683	8,58,750
स्टाफ कल्याण व्यय	3,40,446	3,36,122
पीआरपी व्यय	19,56,952	0
अधिवर्षिता लाभ योजना	13,54,548	0
कुल	2,28,10,423	1,73,88,671
कुल योग	**2,47,34,507**	**1,83,63,226**

श्री हर्ष भाल, आईआईएस, अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के संबंध में 2,81,175/– रुपये की राशि 1.4.2011 से 31.3.2012 तक को 'विदेश सेवा योगदान' शीर्ष के अंतर्गत बही खातों में छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान नाम दिया गया है। वेतन निर्धारण और अन्य निबन्धन व शर्तों का मामला प्रशासनिक मंत्रालय के पास अभी भी लंबित है। तथापि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना नं. 1–6/2007–डीडी IV दिनांक 23.09.2010 के आधार पर परिलब्धियाँ (रुपये 19,24,084/–) अदा कर दिए गए हैं।

अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक (अप्रनि) का पारिश्रमिक

राशि रुपये में

विवरण	वित्त वर्ष 2011–12	वित्त वर्ष 2010–11 (14.09.2010 से 31.03.2011
वेतन तथा भत्ते	14,61,621	8,12,351
अन्य लाभ	4,62,463	1,62,204
कुल	19,24,084	9,74,555

उपर्युक्त के अतिरिक्त अप्रनि को उनकी नियुक्ति की सेवा शर्तों के अनुसार ऑफिस कार प्रदान की गई है। तदनुसार वर्ष 2011–12 के दौरान अप्रनि से 2,940 रुपये प्राप्त हुए।

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.15 अन्य व्यय

(राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा व्यय (निदेशकगण)	8,44,705	5,62,152
यात्रा व्यय (अन्य)	1,51,675	33,465
यात्रा व्यय (स्टाफ)	10,71,177	9,83,012
बिजनेस प्रमोशन	20,680	12,049
लेखापरीक्षा व्यय	15,700	0
लेखा परीक्षकों का जेब खर्च (यात्रा)	44,000	40,500
आंतरिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	84,270	59,895
सांविधिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	78,652	77,210
बेची गयी/रद्द/बट्टे खाते में डाली गयी स्थायी परिसम्पतियों पर घाटा	58,160	0
विज्ञापन व्यय	75,570	0
एएमसी प्रभात	1,50,407	1,92,105
जागरूकता सृजन/प्रचार व्यय	5,46,966	1,51,684
बैंक प्रभार	3,789	12,617
जिल्दसाजी प्रभार	1,829	3,997
मंडल बैठक व्यय	36,356	36,288
पत्र–पत्रिकायें	18,899	13,627
केवल चालू करने के प्रभार	0	3,900
निगम सदस्यता शुल्क	3,258	52,758
परामर्श शुल्क	3,97,000	0
दैनिक वेतन	1,27,013	1,40,792
डीजी सैट चालू रखना व रख–रखाव	32,045	27,041
बिजली प्रभार	1,85,843	2,53,697
ईडीपी (ईडीपी लेखा)	11,89,321	8,28,000
प्रदर्शनी/सामाजिक विकास व्यय	23,77,154	7,80,128
फीस और चंदा	950	500
फाइलिंग फीस	34,866	47,500
वाहनों हेतु ईंधन प्रभार	3,27,441	2,01,132
सामान्य व्यय	56,124	7,299
व्यवसायिक चलाना/अनुरक्षण प्रभार	1,200	1,500
मानदेय (अन्य)	16,000	24,000
हाउसकीपिंग व्यय	49,974	0
राजभाषा कार्यान्वयन पर व्यय	11,000	2,140
बीमा प्रभार	23,005	20,284
आईएसओ प्रमाणन व्यय	17,847	3,309
पट्टा किराया (दिल्ली हॉट, पीतमपुरा)	2,70,492	1,35,246
दिल्ली हॉट में स्टाल अनुरक्षण प्रभार	2,37,168	0
बैठक व्यय	67,890	10,894

क्रमशः

2.15 अन्य व्यय (राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
हैबिटेट वर्ल्ड की सदस्यता फीस	6,618	6,618
समाचार–पत्र और पत्रिकाओं पर व्यय	7,717	3,807
कार्यालय अनुरक्षण व्यय	29,095	18,567
कार्यालय किराया व्यय	8,12,148	8,12,148
आउटसोर्सिंग व्यय	55,198	0
मनोरंजन व्यय (सीएमडी कार्यालय)	0	1,438
डाक–तार व्यय	95,392	94,378
मुद्रण व लेखन सामग्री व्यय	4,18,884	2,51,503
व्यवसायिक प्रभार	36,502	76,389
मरम्मत व अनुरक्षण (वाहन)	1,04,344	76,739
मरम्मत व अनुरक्षण (कम्पयूटर्स)	61,588	51,066
मरम्मत व अनुरक्षण (एयरकंडीशनर व कूलर)	18,950	2,285
मरम्मत व अनुरक्षण (कार्यालय उपकरण)	16,879	0
मरम्मत व अनुरक्षण	26,248	18,685
प्रतिधारण प्रभार	0	4,400
सुरक्षा किराया व्यय	5,97,414	4,15,464
स्टाफ भर्ती व्यय	0	1,00,129
टेलीफोन व्यय	3,88,092	3,59,676
प्रशिक्षण व्यय (स्टाफ)	26,030	0
वाहन अनुरक्षण व्यय	53,665	0
वाहन किराया प्रभार	3,17,986	2,07,094
कार्यशाला / सम्मेलन / संगोष्ठी व्यय	3,38,596	3,09,494
संदिग्ध व्यापार और ऋणों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान (निवल)	37,52,404	9,79,432
कुल	**1,57,92,175**	**85,08,033**

25 जून, 2012 को हुई बोर्ड की 69वीं बैठक में पुनरीक्षित और अनुमोदित नीति के अनुसार, एससीए के लिए अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कुल प्रावधान शून्य है और एनजीओस के लिए 37,52,404 / – रुपये है। यह प्रावधान वितीय वर्ष 2011–12 के लिए (गत वर्ष प्रावधान एससीए – शून्य और एनजीओ 9,79,432 / – रुपये : कुल प्रावधान 9,79,432 / – रुपये) एनएलएफडीसी के लेखाओं में दर्ज है।

संघ राज्य क्षेत्रों से कोई सरकारी प्रतिभूति नहीं ली जा रही है हालांकि इस पर काफी लंबे समय से पत्र व्यवहार चल रहा है, अतएव, इन ऋणों को गैर जमानती ऋण दर्शाया गया है। निगम ने कार्यालय परिसर को इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी फरीदाबाद से 01.12.2009 से 3 वर्ष की अवधि के लिए 67,679 / – रुपये प्रतिमाह पट्टे पर लिया है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को दिल्ली हाट, प्रीतमपुरा में तीन स्टॉल लेने के लिए 31 मार्च, 2009 को 34,37,500 / – रुपये की राशि अदा की गई। इस आशय का करार डीटीटीडीसी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच 9 जून, 2010 को हुआ था पट्टे की अवधि 17 जून, 2023 तक, अवधि 12 वर्ष 8 माह और 7 दिन है। 01.04.2011 से 31.03.2012 तक अवधि के लिए पट्टा किराए के तौर पर वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए 2,70,492 / – रुपये की राशि आय–व्यय खाते पर प्रभारित की गई है। अग्रिम में पूर्ण समायोजन होने तक लगातार 11 वित्तीय वर्षों के लिए 2,70,492 / – रुपये की राशि आय–व्यय खाते पर प्रभारित की जाएगी। एनएचएफडीसी को दिल्ली हाट में आवंटित स्टॉलों के अनुरक्षण प्रभारों के लिए (1.4.2011 से 31.3.2012 तक) वित्तीय वर्ष 2011–2012 में 2,37,168 / – रुपये का भी प्रावधान किया गया है।

2.15 (क) अन्य व्यय (पूर्वावधि मद्दों का ब्योरा)

(राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
(1) पूर्वावधि मद्दों का ब्योरा (निवल)		
पूर्वावधि व्यय	723	10,290
एएमसी प्रभार	1,60,000	0
कार्यशाला व्यय	0	17,420
प्रचार व्यय	0	4,41,480
ईडीपी खाता	31,958	0
यात्रा व्यय (स्टाफ)	4,412	0
सांविधिक लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	(2,23,077)	85,075
अच्छी वसूली पर प्रोत्साहन	0	2,43,977
वेतन व भत्ते (सीएमडी)	0	71,927
विदेश सेवा अंशदान (सीएमडी)	53,66,914	1,62,143
वेतन व भत्ते (स्टाफ)	46,938	0
छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	1,48,938	0
बचत बैंक खाते पर ब्याज	0	1,15,861
कुल	**55,36,806**	**11,48,173**
(2) पूर्वावधि आय		
ईडीपी खाता	42,412	0
कुल	42,412	0
निवल शेष	**54,94,394**	**11,48,173**

अपवादिक और असाधारण मदों का ब्योरा

1. वर्ष के दौरान 54,94,394–/ रुपये (गत वर्ष 11,48,173/– रुपये के पूर्वावधि समायोजन आय–व्यय नामे लिखे गये हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान प्राप्त 6,80,524/– रुपये की राशि (गत वर्ष 1,84,310/– रुपये) पूर्व वर्षों (एससीएज़) के सम्बन्ध में शून्य और 10 एनजीओस के मामले में (6,80,524/– रुपये) में किए गए प्रावधानों के मुकाबले संदिग्ध ऋणों का अधिक प्रावधान शीर्ष के तहत (एससीएज़/एनजीओज़) पुनरांकित की गई है।

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.16 लेखाकरण मानकों के अंतर्गत प्रकटन (क्रमागत)

कर्मचारी लाभ योजना

परिभाषित अंशदान योजना

कम्पनी अर्हक कर्मचारियो के लिए परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि अंशदान करती है। योजनाओं के अधीन कम्पनी को लाभों के वित्त पोषण के वास्ते वेतन लागत का विर्निदिष्ट प्रतिशत का अंशदान करना होता है। कम्पनी ने आय–व्यय विवरण में भविष्य निधि अंशदान के लिए 14,46,860/– रुपये और अधिवर्षिता निधि अंशदान के लिए 13,54,548/– रुपये (31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष) का अभिज्ञान किया। कम्पनी द्वारा इन योजनाओं में देय अंशदान योजनाओं के नियमों में विर्निदिष्ट दरों के अनूरूप है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित कर्मचारी लाभ योजनाएं पेश करती है।

1. उपदान
2. छुट्टी नकदी करण
3. रोजगारोत्तर लाभ (पेंशन व चिकित्सा लाभ)

निम्नलिखित तालिका में परिभाषित लाभ योजनाओं की वित्त पोषित प्रारिथिति तथा वित्तीय विवरणों में अभिज्ञानशुदा राशि दर्शायी गई है।

ब्योरा	31 मार्च 2012 को छुट्टी नकदीकरण	31 मार्च 2011 को छुट्टी नकदीकरण
नियोजक व्यय के संघटक		
चालू सेवा लागत	3,59,297	2,39,831
पूर्व सेवा लागत	22,11,160	16,47,899
वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान छुट्टी वेतन से अधिक किया गया प्रावधान (बीमाकित घाटा/लाभ) का समायोजन		
एलसी प्रीमियम और सेवा कर	8,719	9,844
आय–व्यय विवरण में स्वीकृत कुल व्यय	7,61,326	6,10,199
वर्ष के लिए वास्तविक अंशदान और लाभ भुगतान		
वास्तविक लाभ भुगतान	0	46,938
वास्तविक अंशदान	0	0
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसंपत्ति (देयता)		
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	26,04,470	20,08,423
योजनागत परिसम्पतियों को उचित मूल्य वित्तपोषित प्रस्थिति (अधिशेष/घाटा)		
अस्वीकृत विगत सेवा लागत	1,26,275	0
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पत्ति (देयता)	**30,98,761**	**22,11,160**
बीमांकिक पूर्वानुमान		
रियायती दर	8.00 प्रतिशत	8.00 प्रतिशत
वेतन वृद्धि	7.00 प्रतिशत	7.00 प्रतिशत
तत्काल अगले वर्ष में अंशदायी राशि का अनुमान		

क्रमशः

ब्योरा	31 मार्च 2012 को उपदान	31 मार्च 2011 को उपदान
नियोजक व्यय का संघटक		
निपटान लागत/ (ऋण)		
पूर्व सेवा लागत	29,71,106	22,61,294
बीमाकिंक घाटा/ (लाभ)	0	0
एलसी प्रीमियम और सेवा कर	29,692	26,482
आय–व्यय विवरण स्वीकृत कुल व्यय	**6,04,683**	**8,58,750**
वर्ष के लिए वास्तविक अंशदान व लाभ भुगतान		
वास्तविक लाभ भुगतान	0	1,48,938
एनएचएफडीसी कर्मचारी समूह उपदान न्यास में अंशदान	31,55,290	0
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पत्ति (देयता)		
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मुल्य	0	26,75,350
योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य		
वित्तपोषित प्रास्थिति (अधिशेष/घाटा)		
अस्वीकृत पूर्व सेवा लागत		
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पत्ति (देयता)	**0**	**29,71,106**
बीमांकिक पूर्वानुमान		
रियायती दर	8.00 प्रतिशत	8.00 प्रतिशत
वेतन वृधि	8.00 प्रतिशत	8.00 प्रतिशत
आहरण दर	1 से 3 प्रतिशत आयु पर निर्भर	1 से 3 प्रतिशत आयु पर निर्भर

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है
2.17 लेखाकरण मानकों के अंतर्गत प्रगटन

(राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु
आय प्रति शेयर		
मूल		
<u>सतत प्रचालन</u>		
सतत प्रचालनों से वर्ष के दौरान निवल अधिशेष (घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
घटाएं : अधिमानी लाभांश और उस पर कर	0	0
साम्य पूंजी शेयर धारकों को सतत प्रचालनों से वर्ष क लिए निवल अधिशेष (घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
साम्यपूंजीगत शेयरों की भारांकित औसत संख्या	17,43,147	13,53,763
प्रति शेयर सममूल्य	1,000	1,000
सतत प्रचालनों से प्रति शेयर आय–मूल	21.33	11.47
<u>कुल प्रचालन</u>		
सतत प्रचालनों से वर्ष के दौरान निवल अधिशेष (घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
घटाएं : अधिमानी लाभांश और उस पर कर	0	0
साम्य पूंजी शेयर धारकों को सतत प्रचालनों से वर्ष क लिए निवल अधिशेष (घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
साम्यपूंजीगत शेयरों की भारांकित औसत संख्या	17,43,147	13,53,763
प्रति शेयर सममूल्य	1,000	1,000
सतत प्रचालनों से प्रति शेयर आय–मूल	21.33	11.47
<u>ह्रासित</u>		
प्रति शेयर ह्रासित आय के अधिशेष को साम्यपूंजीगत शेयरों की भारांगित औसत संख्या से विभाजित करके आंका गया है।		
<u>सतत प्रचालन</u>		
सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए निवल अधिशेष/(घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
घटाएं : अधिमानी लाभांश और उस पर कर	0	0
साम्यपूंजी शेयर धारकों को सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए निवल अधिशेष/(घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
जोड़े : परिवर्तनीय बंध पत्रों (निवल) पर ब्याज व्यय विनियम अस्थिरता	0	0
सतत प्रचालनों से (ह्रास करने पर साम्यपूंजी शेयरधारकों का अधिशेष/घाटा	3,71,82,086	1,55,29,296
मल ईपीएस हेतु साम्यपूंजी शेयरों की भारांकित औसत संख्या	49,863	50,685
जोड़े : वारंटों का प्रभाव, ईएसआपीज़ तथा		

क्रमशः

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.17 लेखाकरण मानकों के अंतर्गत प्रकटन

(राशि रूपये में)

ब्योरा	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु
परिवर्तनीय बंध पत्र जो ह्रासकारी हैं	0	0
ह्रासित ईपीएस के लिए साम्यपूंजी शेयरों की भारांकित औसत संख्या	17,43,146.61	13,53,763.00
प्रतिशेयर सममूल्य	1,000	1,000
सतत प्रचालनों से प्रति शेयर आय–ह्रासित	20.74	11.06
कुल प्रचालन		
वर्ष के लिए निवल अधिशेष / (घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
घटाएं : अधिमानी लाभांश और उस पर कर	0	0
साम्यपूंजी शेयरधारकों को वर्ष के लिए निवल अधिशेष / (घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
जोड़े : परिर्वतनीय बंध पत्रों (निवल) पर ब्याज–व्यय व विनिमय अस्थिरता	0	0
साम्यपूंजी शेयरधारकों (ह्रास होने पर) को निवल अधिशेष / (घाटा)	3,71,82,096	1,55,29,296
मूल ईपीएस के लिए साम्यपूंजीगत शेयरों की भारांकित ओस संख्या	49,863	50,685
जोड़े : वारंटो का प्रभाव ईएसओपीज तथा परिर्वतनीय बंधपत्रों का प्रभाव जो ह्रासकारी है।	0	0
ह्रासित ईपीएस के लिए साम्यपूंजीगत शेयरों की भारांकित औसत संख्या	17,43,147	13,53,763
प्रति शेयर सममूल्य	1,000	1,000
प्रतिशेयर आय – ह्रासित	20.74	11.06

प्रतिशेयर आय

क्रमांक	ब्योरा	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2010–11
(क)	साम्यपूंजी शेयरधारकों को वर्ष के लिए व्यय से अधिक लाभ (रुपये)	3,71,82,096	1,55,29,296
(ख)	साम्यपूंजीगत शेयरों की भारांकित औसत संख्या		
	मूल	17,43,147	13,53,763
	ह्रासित	17,93,010	14,04,448
(ग)	प्रतिशेयर मूल आय (क / ख) (रुपये)	21.33	11.47
(घ)	प्रति शेयर ह्रासित आय (रुपये)	20.74	11.06
(ड़)	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रुपये)	1,000	1,000

लेखा टिप्पणी वित्तीय विवरणों का अंश है

2.18 सामान्य प्रगटन

(1) आकस्मिक देयता

श्री टी. अनंत रेड्डी सुपुत्र श्री सुरेन्द्र रेड्डी निवासी 12–5–27/3, विजयपुरी, दक्षिण लालगुडा, सिकन्दराबाद, हैदराबाद जिला ने 2006 की रिट याचिका सं. 28–23 के द्वारा प्रबंध निदेशक, एपी विकलांगुला कोऑपरेटिव कारपोरेशन तथा अन्य के खिलाफ हैदराबाद स्थित आन्ध्रप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में (एनएचएफडीसी की प्रतिवादी नं. 2 के बनाया गया है) रिट याचिका दायर की गई।

याचिकादाता चाहता है कि बकाया देय राशियो केवल हिस्सा का एक बार में निपटान तथा ब्याज ज्यों का त्यों माफ कर दिया जाए।

एनएचएफडीसी का तर्क है कि यह एससीए और उधार लेने वाले के बीच निपटारे का मामला है; जहाँ तक एनएचएफडीसी का संबंध है, एससीए मुख्य ऋणी है और याचिकादाता और एनएनएफडीसी के बीच कोई अनुबंध का मामला नहीं है।

(2) संबद्ध पार्टी उत्कथन

वित्तीय वर्ष 2011–2012 के दौरान जिन संबद्ध पक्षों के साथ संव्यवहार किया गया है उनकी सूची तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस)–18 की आवश्यकतानुसार संबंध निम्नानुसार है।

क्रमांक	संबद्ध पक्ष का नाम	संबंध	2011–12	भुगतान (रुपये)
				2010–11 (14.09.2010 से 31.03.2011 तक)
1	श्री हर्षभाल, आईआईएस अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक	19,24,084.00	9.74,555.00

(3) अनुबंध की अनुमानित राशि जो पूंजीगत लेखे पर निष्पादित की जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है शून्य रुपये है (अग्रिमों का निवल) गत वर्ष 'शून्य')

(4) विदेशी मुद्रा में व्यय

चालू वर्ष – शून्य (गत वर्ष शून्य)

(5) गत वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी चालू वर्ष के आंकड़ों के समरुप करना जरूरी था उन्हें पुनः वर्गीकृत/पुन व्यवस्थित किया गया है।

परोक्षी प्रपत्र

मैं.....नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन का सदस्य होने के नाते एतद् द्वारा श्री..... का ..... को होने वाली और उसके स्थगन पर होने वाली कंपनी की 15वीं साधारण बैठक में मेरे लिए तथा मेरी ओर से मतदान करने के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

दिनाँक.....को हस्ताक्षरित।